केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(प्रतिवेदन क्रमांक–422)

किशोरी शक्ति/किशोरी बालिका योजना का मूल्यांकन अध्ययन

राजस्थान सरकार
मूल्यांकन संगठन
योजना भवन,
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	I - IX
प्रथम	अध्ययन परिचय	1—9
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	10—25
तृतीय	अध्ययन परिणाम	26—39
चतुर्थ	कमियाँ एवं सुझाव	40—46
	परिशिष्ट I	47

*****

उद्‌बोधन

समेकित बाल विकास सेवाओं के एक घटक के रूप में 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास तथा उन्हें सृजनात्मक गतिविधियों से जोड़ने एवं स्वयं के स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से किशोरी बालिका/किशोरी शक्ति योजना का प्रारम्भ किया गया।

राज्य में किशोरी बालिका योजना वर्ष 1993–94 में 6 जिलों की 24 बाल विकास परियोजनाओं में प्रारम्भ की गयी। योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रभावित होकर वर्ष 2000–01 में 141 व वर्ष 2005–06 में 109 बाल विकास खण्ड़ों में योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित संदर्भित वर्ष 2005–06 तक योजना का क्रियान्वयन कुल 257 परियोजनाओं में किया जा रहा था।

कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, पोषाहार एवं स्वास्थ्य–शिक्षा तथा मनोबल ऊँचा रखने आदि गतिविधियों की जानकारी देकर योजना का संचालन किया जा रहा है। साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर एवं स्वयं सहायता समूह बनाकर आर्थिक रूप से सम्बल बनाने का भी प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में कार्यक्रम के संचालन एवं किशोरी बालिकाओं को सृजनात्मक गतिविधियों से जोड़ने एवं आर्थिक रूप से सम्बल बनाने हेतु उपलब्ध कराये गये संसाधनों की कार्यशीलता तथा इनमें रही कमियों/कठिनाइयों को यथास्थान इंगित कर निराकरण हेतु उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। अपेक्षा है यह प्रतिवेदन कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के संदर्भ में उपयोगी सिद्ध होगा।

तिथि : जनवरी,2008
स्थान : जयपुर

(वी. श्रीनिवास)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

समेकित बाल विकास सेवाओं के घटक के रूप में 11 से 18 वर्ष की उन बालिकाओं के सर्वागीण विकास हेतु जो कभी स्कूल नहीं गयी/ जिन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया हो एवं गरीब हो तथा मजदूरी पर जाती हो, भारत सरकार के सहयोग से किशोरी बालिका/किशोरी शक्ति योजना का प्रारम्भ किया गया।

वर्ष 1993–94 में यह योजना 6 जिलों की 24 बाल विकास परियोजनाओं में किशोरी बालिका के नाम से प्रारम्भ की गई, जो वर्ष 2005–06 में 257 परियोजनाओं में किशोरी शक्ति के नाम से संचालित की जा रही थी। माननीय मंत्री महोदय, महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशानुसार किशोरी शक्ति/किशोरी बालिका योजना के मूल्यांकन हेतु विभाग द्वारा 6 जिलों, 11 परियोजनाओं एवं 44 आंगनबाडियों का चयन किया गया।

मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्राप्त प्रलेखीय सूचनाओं/संचालित कार्यक्रमों के भौतिक सत्यापन, अवलोकन, उपलब्ध कराये गये संसाधनों तथा 220 लाभार्थियों व 87 कार्यकारियों से साक्षात्कार के दौरान प्राप्त विचारों का विवेचन करते हुए योजना के सफल संचालन हेतु विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डाला है।

अध्ययन प्रतिवेदन में योजना के क्रियान्वयन से किशोरी बालिकाओं को हुए लाभ व संचालन में रही कमियों को इंगित करते हुए यथा स्थान उपयोगी सुझाव भी दिये गये हैं। योजना के सफल संचालन हेतु बजट समय पर आवंटित करने, दिशा–निर्देश जारी करने, फील्ड स्टाफ का पर्यवेक्षण करने, शिक्षित प्रेरक लगाने व उनके मानदेय में वृद्धि करने, ट्रेण्ड ट्रेनर से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाने व आवश्यक सामग्री /किट उपलब्ध करवाने, स्वयं सहायता समूह बना कर रोजगार से जोड़ने, स्वस्थ रहने व मनोबल बढ़ाने संबंधी शिक्षा देने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये हैं। आशा है वर्णित सुझाव योजना के प्रभावी संचालन में उपयोगी सिद्ध होगें।

तिथिः जनवरी,2008
स्थानः जयपुर

(जी.आर. पाराशर)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव
मूल्यांकन संगठन, जयपुर

निष्पादक संक्षेप

किशोरी शक्ति/किशोरी बालिका योजना का मूल्यांकन

I **प्रस्तावना :**

(i) किशोरी बालिका योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 1993–94 से किया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से क्रियान्वित यह योजना सर्व प्रथम 6 जिलों की 24 बाल विकास परियोजनाओं में प्रारम्भ की गई। योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रभावित होकर वर्ष 2000–01 में 141 व वर्ष 2005–06 में 109 बाल विकास खण्ड़ों में योजना लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित संदर्भित वर्ष 2005–06 तक योजना का क्रियान्वयन कुल 257 परियोजनाओं में किया जा रहा था। वर्ष 2001–02 में योजना का नाम परिवर्तित करके"किशोरी शक्ति योजना" कर दिया गया। किशोरी बालिका/किशोरी शक्ति योजना को समेकित बाल विकास सेवाओं के एक घटक के रूप में प्रारम्भ किया गया, जिसके तहत 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं का बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास करने के साथ–साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध करवायी जाती है।

(ii) किशोरी शक्ति योजना के ब्लाक स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रति परियोजना प्रतिवर्ष 20–20 आंगनबाड़ियों का चयन रोटेशन आधार पर चालू वर्ष के लिए किया जाता है। चयनित आंगनबाड़ियों से 11 से 18 वर्ष की उन 30–30 किशोरी बालिकाओं का चयन किया जाता है, जो पढ़ने नहीं जाती हो या विद्यालय छोड़ दिया हो, गरीब व पिछड़े वर्गो से हों तथा अविवाहित हो या गोना नहीं हुआ हो। इस प्रकार से एक परियोजना में प्रतिवर्ष 600 बालिकाओं का चयन किया जाता है। चयनित आंगनबाड़ी में एक किशोरी बालिका केन्द्र स्थापित किया जाता है। जिसके संचालन हेतु 100 रूपये प्रतिमाह मानदेय पर एक प्रेरक का चयन कर योजना संचालन हेतु 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है।

(iii) किशोरी बालिका केन्द्र प्रतिदिन 2 घण्टे हेतु संचालित किया जाता है। प्रत्येक किशोरी बालिका केन्द्र से 2–2 बालिकाओं का चयन कर परियोजना स्तर पर भी 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण दौरान प्रशिक्षण हेतु आवश्यक किट/सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। प्रतिवर्ष प्रति खण्ड़ में 1.10 लाख रूपये राशि आंवटित की जाती है । इस राशि का उपयोग प्रेरकों को प्रशिक्षण ,मानदेय व किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण, भ्रमण तथा अन्य प्रशासनिक कार्यो में किया जाता है।

II **उद्देश्य :** योजना के निम्नलिखित उद्देश्य –

(i) 11 से 18 वर्ष आयु समूह की बालिकाओं से सम्पर्क करके, उनमें आत्म विश्वास जागृत करना।

(ii) बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना।

(iii) अनौपचारिक शिक्षा/साक्षरता एवं शिक्षा की मूल धारा से जोडने के प्रयास करना।

(iv) स्वास्थ, सफाई, पोषण, परिवार कल्याण, गृह प्रबन्ध एवं बच्चों की परवरिश के प्रति जागरूकता एवं जानकारी।

(v) सामाजिक मुद्दों, बुराईयों एवं कुरीतियों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण एवं जागरूकता पैदा करना।

(vi) प्रजनन, यौन शिक्षा एवं शारीरिक बदलावों की जानकारी देना।

(vii) निर्णय लेने, नेतृत्व क्षमता का विकास एवं ज्ञान के प्रति इच्छा को जागृत करना।

(viii) बालिकाओं को गृहकार्य में दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देना।

(ix) समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो उपुर्यक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सकें।

III **न्यादर्श परिकल्पना :**

(i) अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से सामान्य आई. सी.डी.एस. के तहत संचालित किशोरी शक्ति योजना की, वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक 3 वर्षो की जिलेवार भौतिक प्रगति प्राप्त की एवं सूचना को इकजाई करके तीन वर्षो की उपलब्धि को अवरोही क्रम (Decending Order) में व्यवस्थित किया गया तथा 20 प्रतिशत न्यादर्श के आधार पर अधिकतम लाभ वाले 6 जिलों का चयन किया गया, जो क्रमशः जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, नागौर एवं बाड़मेर हैं।

(ii) द्वितीय स्तर पर चयनित जिले की अधिकतम उपलब्धियों वाली 2–2 बाल विकास परियोजनाओं का चयन किया गया। भीलवाड़ा जिले में जिला स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण एक परियोजना का ही चयन किया गया।

(iii) तृतीय स्तर पर चयनित परियोजनाओं में से अधिकतम किशोरी बालिका केन्द्रों वाले 2–2 महिला पर्यवेक्षक सर्किल का चयन किया गया तथा चयनित सर्किल से उन 2–2 आंगनबाड़ी केन्द्रों का सामान्य न्यादर्श के आधार पर चयन किया गया, जो कि वर्ष 2003–04 में कार्यरत थी तथा वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में से किसी एक वर्ष में किशोरी बालिकाओं को लाभ दिया गया हो।

(iv) अंतिम स्तर पर चयनित आंगनबाड़ी केन्द्र के किशोरी बालिका केन्द्र से प्राप्त लाभ वाली 5–5 किशोरी बालिकाओं से उपलब्धता के आधार पर लाभार्थी अनुसूचियाँ भरी गई।

(v) इस प्रकार से चयनित 6 जिलों की 11 परियोजनाओं व 44 बालिका केन्द्रों का चयन किया गया तथा 220 लाभार्थी किशोरियों से साक्षात्कार कर उनको प्राप्त हुए लाभों की जानकारी व सुझाव लिये गये तथा कार्यक्रम के संचालन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों व जन प्रतिनिधियों के भी विचार, सुझाव लिये गये।

V संदर्भ अवधि :

अध्ययन हेतु प्रलेखीय सूचनाएं वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की प्रगति के आधार पर तथा कार्यकारी, प्रेरक एवं लाभार्थियों के विचार/सुझाव सर्वे दिनांक से संबंधित है। अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य माह दिसम्बर, 2006 से अप्रेल 2007 तक किया गया।

VI राज्य स्तरीय प्रगति समीक्षा :

(i) सामान्य आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत संदर्भित वर्ष 2003–04 में 165, 2004–05 में 165 एवं 2005–06 में 274 बाल विकास परियोजनाओं में किशोरी शक्ति योजना स्वीकृत थी, लेकिन वर्ष 2005–06 में 257 परियोजनाओं को ही बजट आंवटित किया गया।

(ii) वर्ष 2003–04 से 2005–06 की अवधि में भारत सरकार से विभाग को क्रमशः 181.50, 181.50 एवं 282.70 लाख कुल 645.70 लाख रूपये प्राप्त हुए, जिसमें से परियोजनाओं को क्रमशः 141.16, 150.37 व 123.89 लाख, कुल 415.42 (64.34प्रतिशत) रूपये आवंटित किये गये । आवंटित राशि के विपरीत क्रमशः 57.36, 87.46 व 56.39 लाख, कुल 201.21 (48.44 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये।

(iii) किशोरी शक्ति योजना की भौतिक प्रगति के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक क्रमशः 99000, 99000 व 154200 कुल 352200 के लक्ष्य के विपरीत क्रमशः 90384, 92921 व 93528 कुल 276833 (78.60 प्रतिशत) किशोरी बालिकाओं को लाभ दिया गया । संदर्भित अवधि में बजट व्यय की तुलना में भौतिक उपलब्धियों का प्रतिशत अधिक है, इसका कारण यह है कि विभिन्न कार्यक्रमों में से एक भी कार्यक्रम में भाग लेने वाली किशोरी बालिका को विभाग द्वारा लाभार्थी मान लिया जाता है।

VII चयनित जिलों व परियोजनाओं का प्रगति विवरण :

(i) चयनित जिले जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, नागौर व बाडमेर में सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक क्रमशः 62, 62 व 71 परियोजनाओं में किशोरी शक्ति योजना क्रियान्वित की गई। इनमें से 11 परियोजनाओं को क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित किया गया।

(ii) चयनित 6 जिलों को वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक क्रमशः 48.50, 52.52 व 40.73 कुल 141.75 लाख रूपयों का बजट आवंटन किया गया, जिसके विपरीत क्रमशः22.94, 31.93 व 22.02 कुल 76.89 (54.24 प्रतिशत) लाख रूपये व्यय किये गये।

(iii) चयनित जिलों की भौतिक प्रगति के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक क्रमशः 37200, 37200 व 39000 कुल 113400 के लक्ष्य के विपरीत क्रमशः 35614, 36457 व 32129 कुल 104200 (91.89 प्रतिशत) किशोरियों को लाभ दिया गया।

(iv) चयनित 6 जिलों से प्राप्त जिला प्रलेख की सूचना, राज्य प्रलेख में दी गई सूचना से मिलान नहीं खाती है। जिला प्रलेख अनुसूची के अनुसार, चयनित जिलों की 3 वर्षो में आवंटित व व्यय राशि क्रमशः 141.75 लाख व 76.89 लाख रूपये हैं, जबकि राज्य प्रलेख अनुसूची के अनुसार उपरोक्त 6 जिलों की कुल आवंटन व व्यय राशि 138.18 लाख व 80.52 लाख रूपये है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान पाया गया कि राज्य स्तर से प्राप्त सूचना अंतिम व सही है, जबकि जिलों से प्राप्त सूचना सही नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग के जिला स्तर के कार्यालयों द्वारा परियोजनाओं से समन्वय एवं मोनेटरिंग नहीं की जाती है।

(v) चयनित 6 जिलों में से क्षेत्रीय कार्य हेतु 11 परियोजनाओं का चयन किया गया। जयपुर जिले में बस्सी व आमेर, उदयपुर जिले में सलुम्बर व गिर्वा, भरतपुर जिले में भरतपुर (शहर) व सेवर, भीलवाड़ा जिले में एक मात्र शाहपुरा, नागौर जिले में डीडवाना व जायल तथा बाड़मेर जिले में बाड़मेर (ग्रामीण) व बायतु परियोजना का चयन किया गया।

(vi) चयनित 11 परियोजनाओं में 3 वर्षे की अवधि में कुल 25.60 लाख रूपये का बजट आवंटन किया गया, जिसके विपरीत 14.64 लाख (57.19प्रतिशत) रूपये व्यय किये गये, इससे स्पष्ट है कि आवंटित राशि का शत–प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया। चयनित परियोजनाओं में सबसे अधिक बजट उपयोग नागौर जिले की जायल(99.72 प्रतिशत) व डीडवाना (87.39 प्रतिशत) परियोजनाओं द्वारा किया गया।

(vii) चयनित परियोजनाओं में 3 वर्षो की अवधि में 19800 के लक्ष्यों के विपरीत 19261 (97.28 प्रतिशत) बालिकाओं को लाभांवित किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि बजट व्यय की तुलना में लाभार्थियों का प्रतिशत अधिक है।

VIII **चयनित बालिका केन्द्रों का प्रगति विवरण :**

(i) चयनित 11 परियोजनाओं में क्षेत्रीय कार्य हेतु 44 आंगनबाड़ियों/किशोरी बालिका केन्द्रों का चयन किया गया। इन केन्द्रों में से वर्ष 2003–04 में 14, 2004–05 में 12 तथा 2005–06 में 18 केन्द्रों पर किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

(ii) चयनित किशोरी बालिका केन्द्रों के क्षेत्र की औसत आबादी 1359 हैं, जिसमें 11से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं की औसत संख्या 56, चिन्हित किशोरी बालिकाओं की औसत संख्या 40, पंजीकृत बालिकाओं की औसत संख्या 32 तथा वास्तव में लाभान्वित बालिकाओं की औसत संख्या 29 बालिका प्रतिकेन्द्र है।

(iii) चयनित 44 किशोरी बालिका केन्द्रों में से सभी केन्द्रों पर आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ दिया गया। 42 केन्द्रों पर पूरक पोषाहार, 36 केन्द्रों पर स्वास्थ्य जाँच, 28 केन्द्रों पर शैक्षणिक भ्रमण तथा मात्र 19 (43.2 प्रतिशत) केन्द्रों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ दिया गया है, जो कि अपर्याप्त है। चूंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण की बालिकाओं के आत्मनिर्भर होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः यह सभी बालिका केन्द्रों पर दिया जाना चाहिये।

(iv) चयनित बालिका केन्द्रों पर लक्ष्य के विपरीत 103.51 प्रतिशत (पंजीकृत से अधिक) बालिकाओं को आई.एफ.ए. गोलियाँ वितरित की गई। 96.18 प्रतिशत बालिकाओं को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, 29.41 प्रतिशत को व्यावसायिक प्रशिक्षण, 55.07 प्रतिशत को शैक्षणिक भ्रमण एवं 81.83 प्रतिशत को स्वास्थ्य जाँच का लाभ दिया गया। सभी प्रकार के शत–प्रतिशत लाभ नहीं दिये जाने के सवाल पर प्रेरकों ने बताया कि, परियोजना स्तर से समय पर निर्देश नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम के सभी लाभ समय पर पूर्ण नहीं हो पाते तथा परियोजना अधिकारी के अनुसार बजट समय पर न मिलने के कारण कार्यक्रम के कुछ लाभों से लाभार्थी वंचित रह जाते हैं।

IX अध्ययन परिणाम :

(i) चयनित 44 किशोरी बालिका केन्द्रों की पंजीकृत बालिकाओं में से 44 x 5 = 220 बालिकाओं से उपलब्धता के आधार पर लाभार्थी अनुसूचियाँ भरी गई। 220 चयनित बालिकाओं में से 56 (25.4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति की, 40 (18.2 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति की तथा 124 (56.4 प्रतिशत) सामान्य जाति की थी। सर्वे दिनांक को 220 में से 10 (4.6 प्रतिशत) छात्राएं निरक्षर पाई गई, इससे स्पष्ट है कि प्रेरक ने उन्हें साक्षर नहीं किया। 220 में से 65 (29.5 प्रतिशत) मात्र साक्षर थी, शेष प्राइमरी या अधिक पढ़ी लिखी थी।

(ii) चयनित 220 किशोरी बालिकाओं में से 213 (96.8 प्रतिशत) बालिकाओं ने आई. एफ.ए. गोलियों का लाभ लिया, 7 बालिकाओं ने आई.एफ.ए. गोलियों का लाभ नहीं लेना बताया है, जबकि प्रेरक की सूचना के अनुसार पंजीकृत से अधिक को लाभ दिया गया है।

(iii) चयनित 220 में से 219 (99.5 प्रतिशत) किशोरियों को पोशाहार एवं स्वस्थ्य शिक्षा का लाभ दिया गया, नागौर जिले की 1 उत्तरदाता ने लाभ नहीं लिया जो स्वयं केन्द्र पर नहीं जाती थी। पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक बदलाव, माहवारी, शरीर की सफाई, कुपोषण, खून की कमी से बचाव व आयरन की गोलियाँ लेना, स्वास्थ्य जाँच, मातृत्व शिक्षा, परिवार नियोजन, टीकाकरण, मौसमी बीमारियाँ, गृह–प्रबन्धन, पौष्टिक व संतुलित भोजन व स्वास्थ्य के बारे में तथा सामाजिक कुरीतियाँ, अन्धविश्वास व उन्हें दूर करना आदि के बारे में जानकारी दी गयी थी।

(iv) चयनित 220 उत्तरदाताओं में से 170 (77.3 प्रतिशत) बालिकाओं ने बतलाया कि उन्हें स्वास्थ्य जाँच का लाभ मिला है। अधिकांश की स्वास्थ्य जाँच वर्षभर में 6 बार की गई, शेष की 1 से 5 बार की गई है।

(v) 220 उत्तरदाताओं में से मात्र 69 (31.4 प्रतिशत) बालिकाओं ने ही व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ लेना बतलाया तथा शेष 151 (68.6 प्रतिशत) बालिकाओं को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। 69 में से 33 बालिकाओं ने परियोजना स्तर पर तथा 36 बालिकाओं ने आंगनबाड़ी स्तर पर प्रशिक्षण लेना बतलाया । चयनित जिलों में से एक मात्र नागौर जिले की सभी 40 उत्तरदाताओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ लेना बतलाया , प्रशिक्षण के दौरान सिलाई, बुनाई, कशीदाकारी, आरीतारी, बन्धेज के कार्य, खिलौने व सजावटी सामान तथा मेंहदी लगाना आदि विविध कार्य सिखलाये गये।

(vi) प्रशिक्षण से लाभ के बारे में पूछने पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त 69 उत्तरदाताओं में से 34 ने बतलाया कि वे घरेलू छोटे मोटे कार्य कर लेती हैं, 20 की व्यावसायिक कार्यो के प्रति रूचि बढ़ी है, 8 लाभप्राप्तकर्ता स्वयं का रोजगार करने हेतु उत्पाद तैयार करने लगी हैं तथा 7 स्वयं सहायता समूह के साथ रोजगार करने लगी हैं।

(vii) चयनित 220 उत्तरदाताओं में से शैक्षणिक भ्रमण का लाभ 129 (58.6 प्रतिशत) बालिकाओं को दिया गया है।

(viii) चयनित 44 किशोरी बालिका केन्द्रों में से 24 केन्द्रों पर अनौपचारिक शिक्षा का लाभ दिया गया। 220 उत्तरदाताओं में से 60 (27.3 प्रतिशत) बालिकाओं ने अनौपचारिक शिक्षा का लाभ लिया। सर्वे दिनांक को 220 में से 10 बालिकाएं निरक्षर पाई गई। 10 में से 7 को केन्द्र पर साक्षर नहीं किया गया, 3 किशोरी बालिकाएं केन्द्र पर अनौपचारिक शिक्षा का लाभ लेकर भी निरक्षर थी।

(ix) चयनित 220 उत्तरदाताओं में से 202 (91.8 प्रतिशत) बालिकाओं ने मानसिक विकास व सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव बताया है, जबकि 18 (8.2 प्रतिशत) ने किसी भी प्रकार का लाभ होना नहीं बताया है।

X कमियाँ एवं सुझाव :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं किशोरी बालिकाओं द्वारा बतलाई गई तथा मूल्यांकन विभाग के अधिकारियों/अन्वेषकों द्वारा अनुभूत की गई कमियाँ तथा योजना के सफल संचालन हेतु सुझावों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(i) यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, गत वर्षो में भारत सरकार से बजट राशि विलम्ब से प्राप्त हुई है, तत्पश्चात् विभाग द्वारा राशि को उचित प्रक्रिया के तहत विलम्ब से परियोजनाओं को भिजवाया गया हैं । समय अभाव के कारण परियोजना स्तर से सभी प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका, अतः सुझाव दिया जाता है कि विभाग अपने स्तर पर प्रयास करके भारत सरकार से समय पर बजट प्राप्त करे तथा तुरन्त प्रभाव से परियोजनाओं को आवंटित किया जावे।

(ii) निदेशालय स्तर व जिला स्तर से प्राप्त सूचना में कई प्रकार की विसंगतियाँ पाई गई हैं, अतः विभाग को चाहिये कि वह योजना की वित्तीय व भौतिक सूचना का रिकार्ड दुरस्त करें तथा नियमित रूप से बजट आवंटन, व्यय व उपलब्धियों की मॉनिटरिंग करें।

(iii) अधिकारी व कर्मचारी "किशोरी शक्ति योजना " जैसे छोटे से कार्यक्रम पर ध्यान नहीं देते हैं तथा पूरा कार्य प्रेरक के जिम्मे छोड़ देते हैं, अतः सुझाव दिया जाता है कि फील्ड स्टाफ बढाया जावे, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण व शैक्षणिक भ्रमण जैसे कार्य सम्पन्न हो सकें। किशोरियों की उपस्थिति एवं प्रतिदिन दिये जाने वाले लाभ के इन्द्राज हेतु रजिस्टर खोला जावे तथा महिला पर्यवेक्षक/प्रचेता व परियोजना अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जावे।

(iv) कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु परियोजना स्तर पर भेजे जाने वाले दिशा–निर्देशों की प्रति, प्रेरक तक नहीं पहुँचती है, अतः सुझाव है कि दिशा–निर्देशों की 25–25 प्रतियाँ परियोजना स्तर पर भिजवाई जावे अथवा फोटो प्रतियाँ करवाकर सभी प्रेरकों तक पहुँचाने हेतु परियोजना अधिकारी को निर्देश जारी किये जावें।

(v) योजना का प्रारम्भ होने वाले माह मई–जून में जिलास्तर पर छपने वाले अखबार के अंक में तथा रेडियों, टी.वी. व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार किया जावे।

(vi) प्रेरक हेतु मिडिल/सैकण्डरी योग्यता अनिवार्य की जावे तथा प्रेरक का मानदेय 100 रूपये से बढ़ाकर 200–300 रूपये प्रतिमाह किया जावे।

(vii) पंजीकृत किशोरी बालिकाओं में से गरीब व कुपोषित बालिकाओं को पूरक पोषाहार से जोड़ा जावे।

(viii) 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सभी पंजीकृत बालिकाओं को दिया जावे। अगर परियोजना स्तर पर सम्भव नहीं हो सके तो उक्त प्रशिक्षण बालिका केन्द्र स्तर पर ही दे दिया जावे। व्यावसायिक प्रशिक्षण ट्रेण्ड ट्रेनर से ही दिलवाया जावे ।

(ix) परियोजना स्तर पर व बालिका केन्द्र स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी किशोरियों को विषय विशेष के अनुरूप आवश्यक सामग्री/कच्चा माल उपलब्ध करवाया जावे। उक्त सामग्री प्रशिक्षण के समय उपलब्ध करवाने हेतु विभाग द्वारा नियुक्त क्रय अधिकारी को पाबन्द किया जावे। प्रत्येक बालिका केन्द्र पर एक सिलाई मशीन, कैंची,धागा व कपड़ा भी उपलब्ध करवाया जावे।

(x) व्यावसायिक प्रशिक्षण उपरान्त प्रत्येक बालिका केन्द्र पर एक–एक स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वयं का रोजगार करने हेतु प्रेरित किया जावे।

(xi) सभी केन्द्रों की बालिकाओं को शैक्षणिक भ्रमण करवाया जावे तथा उक्त कार्य हेतु प्रस्तावित राशि 750 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रति केन्द्र की जावे।

(xii) निरक्षर किशोरी बालिकाओं को साक्षर करने हेतु प्रत्येक बालिका केन्द्र पर 5–5 सैट स्लेट, किताब, कॉपी, पेन्सिल, पोस्टर व कलैण्डर आदि शिक्षण सामग्री व 1–1 ब्लैक बोर्ड उपलब्ध करवाये जावे।

(xiii) ए.एन.एम./एल.एच.वी./डॉक्टर द्वारा आंगनबाड़ियों में स्वास्थ्य जाँच की दिनांक को ही किशोरी बालिकाओं की भी जाँच की जावे।

(xiv) प्रतिवर्ष सभी बालिका केन्द्रों से प्रतिभावान बालिकाओं का चयन करके जिलास्तर पर मेला/प्रतियोगिता का आयेाजन किया जावे, जिससे किशोरी बालिकाओं का मनोबल बढ़ सके।

(xv) कार्यक्रम हेतु उन्हीं आंगनबाड़ियों का चयन किया जावे, जो दूर–दराज व पिछड़े क्षेत्र की आंगनबाड़ियाँ हो तथा निरक्षर, गरीब, पिछड़ी व स्कूल छोड़ चुकी बालिकओं को ही कार्यक्रम से जोड़ा जावे।

(xvi) जहाँ आंगनबाड़ी भवन सरकारी नहीं है, वहाँ पर केन्द्र हेतु भवन किराया व दरी पट्टी की व्यवस्था की जावे। बालिका केन्द्र के संचालन हेतु प्रेरक को रजिस्टर/स्टेशनरी आदि यथ समय उपलब्ध करवाई जावे।

निष्कर्ष :

समेकित बाल विकास सेवाओं के एक घटक में 11 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं के संर्वागीण विकास के लिए उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ–साथ उनके लिए सृजनात्मक गतिविधियों के द्वारा, उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में भारत सरकार के शत–प्रतिशत आर्थिक सहयोग से किशोरी शक्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। जहाँ एक ओर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, साक्षरता, स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ जाँच, स्वास्थ्य शिक्षा/मनोबल ऊँचा रखने आदि गतिविधियों की जानकारी देकर इस योजना का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर एवं स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सम्बल बनाने के प्रयास भी किये जा रहे है।

इस योजना को निरन्तरता की आवश्यकता है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि विभाग एवं क्रियान्वित परियोजना एजेन्सी के मध्य समय–समय पर कार्यक्रम की मोनेटरिंग, पर्यवेक्षण, परस्पर समन्वय एवं गतिविधियों को संचालन करने हेतु समय पर पर्याप्त बजट राशि भिजवाना, प्रबोधन एवं अभिलेखों की अद्योतन सूचना एवं रिकार्ड का संधारण, पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता, प्रचार–प्रसार, प्रेरको में रूचि जागृत करना तथा समय पर दिशा– निर्देशों के द्वारा योजना का संचालन करवाने के साथ ही ब्लॉक एवं ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें योजना से जोड़ कर इस योजना को और अधिक गति प्रदान की जा सकती है ताकि योजना का लाभ शत–प्रतिशत रूप से किशोरी बालिकाओं को मिल सके।

अध्याय–प्रथम

अध्ययन परिचय

1.1 भूमिका :

1.1.1 उदासीनता में जन्मी और उपेक्षाओं में पली–बढ़ी बेटी का रूढ़िवादी संस्कारों और पूर्वाग्रहों के जाल में फंस जाने से व्यक्तित्व छिन जाता है और वह एक दीन–हीन बेटी और पत्नी बन जाती है। पुरूष प्रधान समाज की व्यवस्था के कारण समाज में सबसे उपेक्षित स्थिति आज किशोर बालिका की है। इस व्यवस्था की वजह से समाज में वह शोषित तो होती है और स्वयं पर आत्म विश्वास की कमी के कारण स्वयं के साथ नाइंसाफी करती रहती है।

1.1.2 सामाजिक एवं जन विश्वास के अन्य पहलूओं में इस बात पर विचार किया गया है कि किशोर आयु में प्रवेश करने वाली बालिकाओं में सामान्य व्यवहार ज्ञान, साक्षरता की ओर ध्यान देने से बहुत सी समस्याओं का निदान हो सकता है। सतत् तथा जागरूक महिलाएं ही समाज के विकास में योगदान दे सकती है। इस हेतु अनिवार्य है कि एक ऐसी कार्यनीति विकसित की जावे, जिससे न केवल जनमत, माता–पिता के दृष्टिकोण को परिमार्जित किया जा सके अपितु सरकारी कार्यक्रमों का विकास ऐसी दिशा में हो सके, जिससे विद्यमान विभेदीकरण एवं असमानताओं को समाप्त किया जा सके।

योजना की पृष्ठभूमि

1.1.3 समेकित बाल विकास सेवाओं के एक घटक के रूप में 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास तथा उन्हें सृजनात्मक गतिविधियों, आय सृजन गतिविधियों से जोड़ने एवं स्वयं के स्वास्थ्य की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में भारत सरकार के सहयोग से किशोरी बालिका/किशोरी शक्ति योजना का प्रारम्भ किया गया।

1.1.4 किशोरी बालिका योजना राज्य में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार वर्ष 1993 में 6 जिलों की 24 बाल विकास परियोजनाओं में प्रारम्भ की गई। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रेरित होकर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000–01 के दौरान इस योजना का विस्तार राज्य की 141 अन्य बाल विकास परियोजनाओं में किया गया तथा 2001–02 से इस योजना को "किशोरी शक्ति योजना" के नाम से उपरोक्त 165 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में से 5 परियोजनाऐं यथा कोलायत, राजगढ़ (चुरू), कुम्हेर, सुल्तानपुर तथा भोपालगढ़ का

संचालन सामुदायिक सहभागिता की दृष्टि से गैर सरकारी संस्थाओं को दिया गया। इन संस्थाओं में से सुल्तानपुर की संस्था वर्ष 2002–03 में व भोपालगढ़ की संस्था वर्ष 2003–04 में बंद हो जाने के कारण इन परियोजनाओं का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

1.1.5 भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना–III की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 19.4.1999 को दी थी, तथा इसे 66 परियोजनाओं में लागू करके, संचालन हेतु राज्य स्तर पर परियोजना प्रबन्धन इकाई का गठन किया गया था, जो वर्ष 2004–05 तक कार्यरत थी। इन परियोजनाओं में महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत "किशोरी बालिका योजना" भी लागू की थी।

1.1.6 राज्य में तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण, मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा चिकित्सा सुविधाऐं सुलभ कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र जनंसख्या कोष (UNFPA) के सहायोग से एकीकृत जनसंख्या एवं विकास परियोजना (IPD) 7 जिलों में 5 वर्षीय (वर्ष 1999–2000 से 2003–04) परियोजना संचालित की गई। एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना (I.P.D) के अन्तर्गत भी 21 परियोजनाओं में किशोरी बालिका योजना प्रारम्भ की गई। जो कि वर्ष 2003–04 तक संचालित की गई। इन 21 में से भरतपुर व करौली की 3–3 परियोजनाएं विभाग द्वारा तथा अलवर, सवाई माधोपुर, चित्तौडगढ़, भीलवाड़ा, एवं उदयपुर की 3–3 परियोजनाएं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की गई।

1.1.7 भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 18.8.2005 से राज्य के शेष 109 बाल विकास परियोजना खण्डों में "किशोरी शक्ति योजना" लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें विश्व बैंक तृतीय की 66, आई.पी.डी. की 21 तथा वर्ष 2005–06 में स्वीकृत 17 नवीन परियोजनाएं भी शामिल है। इन 109 परियोजनाओं में से वर्ष 2005–06 में 92 परियोजनाओं में ही किशोरी शक्ति योजना के लिए बजट आवंटित किया गया।

1.1.8 इस प्रकार से वर्ष 2001–02 से 165 बाल विकास परियोजनाओं में तथा वर्ष 2005–06 से 92 बाल विकास परियोजनाओं में "किशोरी शक्ति योजना" के नाम से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस प्रकार से वर्ष 2005–06 तक संचालित 274 बाल विकास परियोजनाओं में से 257 बाल विकास परियोजनाओं में यह कार्यक्रम "किशोरी शक्ति योजना" के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

1.2 योजना का क्रियान्वयन :

1.2.1 किशोरी शक्ति योजना के ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रतिवर्ष 20 आंगनबाड़ियों का चयन रोटेशन आधार पर चालू वर्ष के लिए किया जाता है, चयनित आंगनबाड़ियों से 30–30 बालिकाओं का चयन कर गतिविधियाँ संचालित की जाती है।

इस प्रकार से प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 600 बालिकाओं का लक्ष्य समूह बनाया जाता है। गतिविधियाँ संचालन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी स्तर पर एक प्रेरक का चयन किया जाता है। प्रेरक का कार्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/साथिन/सहायोगिनी या गाँव में उपलब्ध अन्य शिक्षित, समाजसेवी महिला जो इस कार्य को करने की इच्छुक हो, से करवाया जाता है। प्रेरक का मानदेय प्रतिमाह 100 रूपये देय है जो प्रशिक्षण के पश्चात कार्य करने पर देय होता है। प्रेरक प्रशिक्षण 5 दिवसीय होता है जिसे ब्लॉक लेवल पर दिया जाता है, जिसमें मास्टर ट्रेनर के रूप में महिला पर्यवेक्षक, प्रचेता व बाल विकास परियोजना अधिकारी होते है। इसके अतिरिक्त पंचायती राज, शिक्षा, न्याय व पुलिस विभाग से भी सन्दर्भ व्यक्तियों को बुलाया जाता है। प्रशिक्षण में विभिन्न योजनाओं, शिक्षा, साक्षरता, महिलाओं से संबंधित विषयों, पर्यावरण स्वच्छता आदि की जानकारी दी जाती है।

1.2.2 वर्तमान में किशोरी शक्ति योजना का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण व शहरी दोनो क्षेत्रों में किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित आंगनबाड़ी क्षेत्र में सर्वे करके 11 से 18 वर्ष आयु की 30 किशोरियों का चयन किया जाता है जो अविवाहित हो, बाल विवाह हुआ हो पर गौना नहीं हुआ हो, मजदूर व कामकाजी बालिकायें, पिछड़े वंचित वर्ग की बालिकायें हो तथा स्कूल में पढ़ते नहीं गई हो या जाना छोड़ दिया हो। सर्वे के दौरान प्रेरक द्वारा लाभों की जानकारी देने, समझाने के उपरान्त बालिका व संरक्षक द्वारा सहमति देने वाली बालिकाओं का ही नामांकन करने का प्रावधान है।

1.2.3 किशोरी बालिका केन्द्र को 2 घण्टे प्रतिदिन संचालित करने का प्रावधान है जो बालिकाओं की सुविधा के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र के समय के अतिरिक्त होता है। अधिकांश प्रेरक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही होती है लेकिन जहाँ पर कार्यकर्ता कम पढ़ी लिखी हो, वहाँ पर प्रेरक का कार्य साथिन या अन्य शिक्षित महिला करती है।

योजना के मुख्य घटकः

1.2.4 भारत सरकार द्वारा किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत प्रति खण्ड 1.10 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उसमें से 1.05 लाख रूपये परियोजना को आवंटित किया जाता है तथा 0.05 लाख रूपये मुख्यालय को राज्य स्तरीय गतिविधियों (यथा आमुखीकरण व मेले आदि) हेतु आवंटित किया जाता है। परियोजना स्तर पर आंवटित बजट में से 15000 रूपये प्रेरकों के 5 दिवसीय प्रेरक प्रशिक्षण "भविष्य का चुनाव/नई दिशायें" , 18750 रूपये परियोजना स्तर पर 2 x 20 = 40 किशोरियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर, 15000 रूपये शैक्षणिक भ्रमण पर, 24000 रूपये प्रेरकों के मानदेय (1200 x 20) पर, 23250 रूपये आंगनबाडी स्तर पर देय व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु कच्चे माल पर, 3000 रूपये प्रतिवेदन लेखन, 5000 रूपये

यात्रा भत्ता एवं प्रशासनिक व्यय हेतु तथा 1000 रूपये अन्य व्यय करने का प्रावधान है।

1.2.5 प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र से 2–2 किशोरी बालिकाओं का चयन करके परियोजना स्तर पर 40 बालिकाओं का समूह बनाकर 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण में घरेलू उपयोग की वस्तुओं के निर्माण, घर की साज–सज्जा तथा अन्य सामग्री के निर्माण एवं उसके रख रखाव की जानकारी दी जाती है। व्यवसायिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फाल लगाना, दरियाँ, मोमबत्ती बनाना, बिन्दी मेकिंग, सॉफ्ट टॉयज, कलात्मक पंखिया, वॉल हैंगिग, कुशन आदि हैण्डीक्राफ्ट सम्बन्धी कार्य, सजावटी सामान निर्मित करना, पारम्परिक गहने तैयार करना, आचार, मुरब्बे, चटनी, जैम, जैली बनाना, ब्यूटीशियन कोर्स, तथा मोबाईल/टी. वी. ट्रेनिंग कोर्स करवाये जा सकते हैं। प्रशिक्षण के समय इन बालिकाओं को आवश्यक सामग्री/किशोरी बालिका किट भी उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। किशोरी बालिकाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बाल विवाह तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के निवारण की भी जानकारी दी जाती है।

1.2.6 प्रत्येक बालिका केन्द्र की प्रशिक्षित 2–2 किशोरी बालिकाएँ प्रेरक के साथ मिलकर किशोरी बालिका केन्द्र की शेष बालिकाओं को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण देती है। उक्त प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री/किशोरी बालिका किट भी परियोजना स्तर से उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। ग्राम स्तर पर उपलब्ध कच्चामाल/सामग्री प्रेरक व बालकाओं द्वारा एकत्रित की जाती है।

1.2.7 किशोरी बालिका केन्द्र को प्रतिदिन 2 घण्टे संचालित करने का प्रावधान है। इस अवधि में प्रेरक द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त निम्न कार्य सम्पादित किये जाते है–

1. प्रेरक प्रारम्भिक सप्ताह में बालिकाओं में आपसी परिचय एवं झिझक दूर करने के लिए खेल, गीत, नुक्कड़ नाटक, क्रियागीत, नृत्य, पोस्टर, वाद विवाद, तथा कहानी आदि कार्यक्रम करवाती है। इसके अतिरिक्त ग्राम के नक्शे एवं ग्राम में उपलब्ध संसाधनों एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा सामाजिक रीति–रिवाजों पर चर्चा कर जानकारी प्रदान करती है।

2. निरक्षर व विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश दिलाना तथा स्कूल में नहीं जा सकने वाली बालिकाओं को अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा अक्षर ज्ञान करवाना।

3. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत खानपान के तरीकों में बदलाव, विशेष पौष्टिक खुराक की आवश्यकता पर बल, कुपोषण की जानकारी, खून की कमी, आई.एफ.ए. गोलियाँ तथा साफ सफाई के बारे में जानकारी दी जाती है।

4. प्रतिमाह डाक्टर/ए.एन.एम. से स्वास्थ्य जाँच करवाई जाती है। किशोरियों को प्रति सप्ताह या प्रतिमाह आई, एफ.ए. टेबलेट का वितरण किया जाता है। कुपोषित बालिकाओं में से 2–2 किशोरियों को 6–6 माह के लिए आंगनबाड़ी से जोड़कर पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है।

5. गृह प्रबन्धन के अन्तर्गत बालिकाओं को घर की साज–सज्जा, सफाई, आपसी सद्भाव, पड़ौसियों के साथ व्यवहार, नैतिक शिक्षा, आहार आदि के बारे में जानकारी दी जाती है।

6. आंगनबाड़ी केन्द्र की गतिविधियों से समन्वय करके बालिकाओं को टीकाकरण, वजन लेना, बाल पोषण, देखभाल व पोषाहार के लाभों की जानकारी दी जाती है। खेल, कविताओं व अनौपचारिक शिक्षा में सहयोग के लिए प्रेरित किया जाता है।

7. किशोरियों की समस्याऐं व उनके निराकरण के बारे में बतलाया जाता है तथा जैण्डर संवेदनशीलता के तहत बालिकाओं में बालक एवं बालिका के बीच भेदभाव पर चर्चाकर उनकी समझ विकसित की जाती है।

8. किशोरावस्था में बालिकाओं में हो रहे शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, प्रजनन स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, यौन रोगो व परिवार कल्याण की जानकारी प्रदान की जाती है। बालिकाओं को विशेषरूप से व्यक्तिगत स्वच्छता, कपड़ों की सफाई, शारीरिक सफाई व नाखून –बालों के बारे में बताया जाता है।

9. यौन हिंसा, पारिवारिक हिंसा, महिला कानून, बाल कानून, दहेज, नारी उत्पीड़न, महिला सहायता समिति, महिला आयोग, चुनाव की अवधारणा, एड्स आदि की जानकारी भी दी जाती है।

10. स्वास्थ्य जाँच, घरेलू उपचार, नुस्खे, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ एवं नेतृत्व के गुणों का विकास, पर्यावरण ज्ञान, वर्षा , कृषि व पशुपालन की जानकारी दी जाती है।

11. व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं को "स्वयं सहायता समूह" बनाने हेतु प्रेरित करना तथा उत्पादित माल को बेचने हेतु मेले/शिविर में भाग लेने हेतु जानकारी देना।

12. शैक्षिक भ्रमण के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर बालिकाओं को विकास योजनाओं की जानकारी देने हेतु पंचायत समिति, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस थाना, तहसील, स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, डेयरी आदि की विजिट करवाकर उनकी कार्यविधियों से अवगत करवाया जाता है। बालिकाओं को दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण भी करवाया जाता है ताकि उनकी झिझक दूर हो, आत्मविश्वास बढ़े एवं जानकारियाँ प्राप्त हो।
उक्त कार्यो हेतु ग्राम स्तर पर सरकारी कर्मचारियों, एन.जी.ओ. व जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाता है।

1.3 **उद्देश्यः– योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैः**

1. 11 से 18 वर्ष आयु समूह की बालिकाओं से सम्पर्क करके, उनमें आत्म विश्वास जागृत करना।

2. बालिकाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना।

3. अनौपचारिक शिक्षा/साक्षरता एवं शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने के प्रयास करना।

4. स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, परिवार कल्याण, गृह प्रबन्ध एवं बच्चों की परवरिश के प्रति जागरूकता एवं जानकारी ।

5. सामाजिक मुद्दों, बुराईयों एवं कुरीतियों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण एवं जागरूकता पैदा करना

6. प्रजनन, यौन शिक्षा एवं शारीरिक बदलावों की जानकारी देना।
7. निर्णय लेने, नेतृत्व क्षमता का विकास एवं ज्ञान के प्रति इच्छा को जागृत करना।

8. बालिकाओं को गृह कार्य में दक्षता प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण देना।

9. समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सकें।

1.4 अध्ययन की आवश्यकताः

1.4.1 माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशानुसार किशोरी शक्ति/किशोरी बालिका योजना का मूल्यांकन अध्ययन कार्यक्रमों से होने वाले लाभ/प्रभावों को जानने हेतु किया गया है।

1.4.2 अध्ययन के उद्देश्य

1. किशोरी शक्ति योजना कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना ।
2. कार्यक्रम की उपयोगिता का विश्लेषण करना।
3. कार्यक्रम से लाभान्वित किशोरियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्वावलम्बन पर हो रहे प्रभाव की स्थिति ज्ञात करना।
4. कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही बाधाएं/कठिनाईयों की समीक्षा कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.5 योजना की प्रगति : (वित्तीय प्रबन्धन)

1.5.1 किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति खण्ड़ 1.10 लाख रूपये की राशि का आवंटन किया जाता है। जिसमें से विभाग द्वारा 1.05 लाख रूपये प्रति परियोजना प्रतिवर्ष योजना को लागू करने हेतु आवंटित किये जाते हैं तथा 5000 रूपये निदेशालय को आवंटित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति ब्लाक 600 बालिकाओं को लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस योजना में वर्ष 2003–04 में 99000, 2004–05 में 99000 तथा 2005–06 में 154200 बालकाओं को पंजीकृत किया गया, जिसमें से वर्ष 2003–04 में 90384, 2004–05 में 92921 तथा 2005–06 में 93528 बालिकाओं को वास्तविक रूप में लाभान्वित किया गया ।

1.5.2 विभाग को वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक सामान्य आई.सी.डी.एस. के तहत क्रमशः 181.50, 181.50 एवं 282.70 कुल 645.70 लाख रूपये प्राप्त हुए, जिसमें से परियोजनाओं को कुल 415.42 लाख रूपये आवंटित किये गये। आंवटित राशि के विपरीत कुल 201.21 लाख रूपये व्यय किये गये।

1.5.3 विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2004–05 तक संचालित किशोरी बालिका योजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना अवधि में नई व पुरानी, 66 + 66 = 132 परियोजनाओं हेतु प्रतिखण्ड़ 3.24 लाख रूपये के हिसाब से कुल 427.68 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई। इस राशि के विरूद्ध वर्ष 2004–05 तक कुल 256.07 लाख रूपये व्यय किये गये, जिसमें से वर्ष 2003–04 में 85.83 तथा 2004–05 में 37.45

लाख रूपये व्यय किये गये। इस योजना से उपरोक्त 66 खण्ड़ों में प्रतिवर्ष 66X600 = 39600 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

1.5.4 आई.पी.डी के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में 21 परियोजनाओं को 12.07 लाख रूपये का बजट आवंटन किया गया तथा 12.07 लाख रूपये ही व्यय किये गये एवं 12600 के लक्ष्य क विपरीत 12600 बालिकाओं को ही लाभान्वित किया गया।

1.6 न्यादर्श परिकल्पना :

1.6.1 महिला एवं बाल विकास विभाग से सामान्य आई.सी.डी.एस. के तहत संचालित किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं की प्रगति प्राप्त हुई। इस प्रगति के अनुसार वर्ष 2003–04 में 90384, 2004–05 में 92921 एवं 2005–06 में 93528 तथा कुल 276833 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

1.6.2 अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य हेतु 3 वर्षो की प्राप्त सूचना को इकजाई करके अवरोही क्रम में (Decending Order) व्यवस्थित किया गया तथा 20 प्रतिशत न्यादर्श के आधार पर अधिकतम लाभ वाले 6 जिलों का चयन किया गया, जो क्रमशः जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, नागौर एवं बाड़मेर है। भौतिक प्रगति का जिलेवार विवरण परिशिष्ट I पर संलग्न है।

1.6.3 द्वितीय स्तर पर चयनित जिले की उन 2 परियोजनाओं का चयन किया गया जो कि वर्ष 2003–04 में कार्यरत थी, तथा उनमें अधिकतम लाभार्थियों को लाभ दिया गया। उदयपुर जिले में चयनित परियोजनाएं केवल जनजाति क्षेत्र की हैं। चयनित भीलवाड़ा जिले से केवल एक परियोजना का ही चयन किया गया, क्योंकि विश्व बैंक आई.सी.डी.एस. तृतीय की परियोजनाओं का रिकार्ड जिला स्तर पर भी उपलब्ध नहीं हुआ। इस प्रकार कुल 11 परियोजनाओं का चयन किया गया।

1.6.4 तृतीय स्तर पर चयनित परियोजना से 2–2 महिला पर्यवेक्षक सर्किल अधिकतम लाभार्थी के आधार पर चयनित किये गये। चयनित सर्किल से उन 2–2 आंगनबाड़ी केन्द्रों का सामान्य न्यादर्श के आधार पर चयन किया गया, जो कि 2003–04 में कार्यरत थी तथा 2003–04 से 2005–06 तक कि अवधि में से किसी एक वर्ष में किशोरी बालिकाओं को लाभ दिया गया था। इस प्रकार से मूल्यांकन अध्ययन हेतु पर चयनित 11 परियोजनाओं में 44 आंगनबाड़ियों का चयन किया गया। चयनित सभी 11 परियोजनाएँ सामान्य आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत संचालित है, उनमें से 1 परियोजना भरतपुर शहरी क्षेत्र की तथा शेष 10 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्र की है। भरतपुर जिले की सेवर परियोजना में वर्ष 2003–04 में आई.पी.डी योजना भी संचालित थी।

1.6.5 चयन के अंतिम स्तर पर चयनित आंगनबाड़ी केन्द्र की उन सभी किशोरी बालिकाओं की सूची बनाई गई, जो सामान्य आई.सी.डी.एस./ विश्व बैंक आई.सी.डी.

एस.III/आई.पी.डी.के अन्तर्गत किशोरी शक्ति/किशोरी बालिका में लाभान्वित हुई हो। लाभान्वित किशोरी बालिकाओं में से उपलब्धता के आधार पर 5–5 किशोरी बालिकाओं से लाभार्थी अनुसूचियाँ भरी गई।

1.7 अध्ययन के उपकरण :

अध्ययन हेतु निम्न अनुसूचियाँ उपयोग में ली गई :–

1. **राज्य, जिला एवं परियोजना प्रलेख अनुसूची–**
   इस अनुसूची में योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2005–0.6 तक की भौतिक व वित्तीय प्रगति की जिलेवार व परियोजनावार सूचना एकत्रित की गई।

2. **प्रेरक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुसूची –**
   इस अनुसूची में चयनित 44 आंगनबाड़ियों के प्रेरकों से बालिका केन्द्र हेतु 3 वर्ष में चयनित व लाभान्वित किशोरी बालिकओं की संख्या तथा लाभों के विवरण की सूचना व सुझााव एकत्रित किये गये।

3. **लाभार्थी अनुसूची–**
   चयनित 44 X 5 = 220 लाभार्थी किशोरियों से साक्षात्कार कर उनको प्राप्त हुए लाभों की जानकारी व सुझाव लिये गये।

4. **अधिकारी/गैर अधिकारी अनुसूची –**
   इस अनुसूची में कार्यक्रम को संचालित करने वाले जिला स्तर के अधिकारियों एवं योजना को क्रियान्वित करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा जानकारी रखने वाले जनप्रतिनिधियों के विचार, सुझााव आदि लिये गये हैं।

1.8 संदर्भ अवधि

अध्ययन हेतु प्रलेखीय सूचनाएं वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की प्रगति के आधार पर तथा कार्यकारी, प्रेरक एवं लाभार्थियों के विचार/सुझाव सर्वे दिनांक से सम्बन्धित हैं। अध्ययन का क्षेत्रीय कार्य माह दिसम्बर, 2006 से अप्रेल, 2007 तक किया गया।

अध्याय–द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.0 प्रगति विवरण :

भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार वर्ष 1993 में 6 जिलों की 24 बाल विकास परियोजनाओं में किशोरी बालिका योजना प्रारम्भ की गई । वर्ष 2000–01 के दौरान इस योजना को राज्य की 141 अन्य बाल विकास परियोजनाओं में लागू किया गया तथा 2001–02 से इस योजना को " किशोरी शक्ति योजना " के नाम से उपरोक्त 165 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित किया गया है, जिसे वर्ष 2005–06 में बढ़ाकर सभी 274 परियोजनाओं में लागू कर दिया गया।

2.1 लाभों के प्रकार :–

किशोरी शक्ति योजनान्तर्गत परियोजना स्तर पर प्रतिवर्ष 20 आंगनबाड़ियों/ग्रामों का चयन वैकल्पिक (Altermative) आधार पर किया जाता है। चयनित आंगनबाड़ी /ग्राम से 30–30 किशोरी बालिकाओं का चयन कर गतिविधियाँ संचालित की जाती है। इस योजनान्तर्गत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, किशोरी बालिका किट (प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता सामग्री व औजार) अनौपचारिक शिक्षा, शैक्षणिक भ्रमण, आई.एफ.ए.टेबलेट वितरण, स्वास्थ्य जाँच तथा कुपोषित 2–2 बालिकाओं को पूरक पोषाहार का 6–6 माह का लाभ दिया जाता है।

2.2 राज्य स्तरीय प्रगति समीक्षा :–

2.2.1 अध्ययन के संदर्भित वर्षो (2003–04 से 2005–06) में उक्त योजना में परियोजनाओं की संख्या मदवार निम्न प्रकार से है–

क्र. सं.	वर्ष	सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत	विश्व बैंक आई.सी.डी. एस(III)	आई.पी.डी. के अन्तर्गत	योग
1.	2003–04	165	66	21	252
2.	2004–05	165	66	–	231
3.	2005–06	274	–	–	274

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2003–04 में योजना 252 परियोजनाओं में लागू थी, लेकिन 2004–05 में आई.पी.डी. की पंचवर्षीय परियोजना बंद हो जाने के कारण यह कार्यक्रम 231 परियोजनाओं में ही रह गया, जो कि वर्ष 2005–06 में बढ़कर सभी 274 परियोजनाओं में लागू हो गया, लेकिन 17 नई परियोजनाओं में किशोरी

शक्ति योजना का बजट आवंटन नहीं होने के कारण यह कार्यक्रम वास्तव में 257 परियोजनाओं में ही क्रियान्वित किया गया।

2.2.2 बजट आवंटन व व्यय :–

कार्यक्रम को संचालित करने हेतु वर्षवार व मदवार बजट आवंटन व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है–

(राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	मद	वर्ष2003–04			2004–05			2005–06			योग		
		विभाग को प्राप्त राशि	परियो–जनाओं को वितरित	व्यय	विभाग को प्राप्त राशि	परियो–जनाओं को वितरित	व्यय	विभाग को प्राप्त राशि	परियो–जनाओं को वितरित	व्यय	विभाग को प्राप्त राशि	परियो–जनाओं को वितरित	व्यय
1.	सामान्य आई.सी.डी. एस.	181.50	141.16	57.36	181.50	150.37	87.46	282.70	123.89	56.39	645.70	415.42	201.21
2.	विश्व बैंक आई.सी.डी. एस (III)	N.A	99.89	85.83	N.A	107.74	37.45	–	–	–	N.A	207.63	123.28
3.	आई.पी.डी.	N.A	12.07	12.07	–	–	–	–	–	–	N.A	12.07	12.07

2.2.3 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग को सामान्य आई.सी.डी.एस के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में प्राप्त राशि क्रमशः 181.50, 181.50 एवं 282.70 लाख कुल 645.70 लाख रूपयों के विपरीत मुख्यालय व परियोजनाओं को क्रमशः 141.16, 150.37 एवं 123.89 लाख, कुल 415.42 (64.34%) लाख रूपये का बजट आवंटन किया गया। तीनों वर्षो में आवंटित बजट 415.42 लाख रूपयों के विपरीत मात्र 201.21 (48.44%) लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2005–06 में भारत सरकार से बजट देरी से प्राप्त हुआ जिसके कारण भारत सरकार से प्राप्त 4 किश्तों में से परियोजनाओं को 2 ही किश्तों का वितरण किया गया है।

2.2.4 विश्व बैंक आई.सी.डी.एस. तृतीय में विभाग को कुल 3.24 X 66 = 213.84 + 213.84 = 427.68 लाख रूपये उपलब्ध करवाये गये, जिनको वर्ष 2003–04 तक व्यय करना था, लेकिन बाद में वर्ष 2004–05 में भी व्यय करने की स्वीकृति दी गई । इस परियोजनान्तर्गत 66 परियोजनाओं को वर्ष 2003–04 में 99.89 लाख रूपये का बजट आवंटन करवाया गया, जिसके विपरीत 85.83 (85.92%) लाख रूपये व्यय किये गये तथा वर्ष 2004–05 में 107.74 लाख रूपयों के विपरीत मात्र 37.45 (34.76%) लाख रूपये व्यय किये गये। दोनों वर्षो में किये गये कुल व्यय 123.28 लाख रूपयों में से 52. 93 (42.93%) लाख रूपये का व्यय केवल आई.एफ.ए. गोलियों पर ही किया गया है।वर्ष 2004–05 में कुल व्यय 37.45 लाख रूपयों में से 35.46 (94.69%) लाख रूपये

केवल आई.एफ.ए गोलियों के वितरण पर ही व्यय कर दिये गये, इससे स्पष्ट होता है कि उक्त वर्ष में अन्य गतिविधियों पर व्यय मामूली (5.31%) ही हुआ है अर्थात् अन्य गतिविधियाँ नगण्य ही रही है।

2.2.5 एकीकृत जनसंख्या विकास परियोजना (आई.पी.डी.) के अन्तर्गत 21 परियोजनाओं में वर्ष 2003–04 में 12.07 लाख रूपये आवंटित किये गये तथा उतनी ही (100%) राशि व्यय की गई, जो कि प्रति परियोजना लगभग 57500 रूपये है। वर्ष 2003–04 में ही इस योजना को बंद कर दिया गया।

2.2.6 **भौतिक प्रगति :–** किशोरी शक्ति/किशोरी बालिका दोनों योजनाओं की मदवार व वर्षवार भौतिक प्रगति निम्न प्रकार से है–

क्र. सं.	मद	वर्ष 2003–04		2004–05		2005–06		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सामान्य आई.सी.डी.एस	99000	90384	99000	92921	154200	93528	352200	276833
2.	विश्व बैंक आई.सी.डी.एस (III)	39600	39600	39600	निल	–	–	79200	39600
3.	आई.पी.डी.	12600	12600	–	–	–	–	12600	12600

2.2.7 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत उक्त 3 वर्षो में से 2003–04 व 2004–05 में उपलब्धियाँ 91.30 प्रतिशत व 93.86 प्रतिशत रही जो कि संतोषजनक है, लेकिन वर्ष 2005–06 में उपलब्धि 60.65 प्रतिशत ही रही जिसका कारण किशोरी शक्ति योजना में सम्मिलित 92 परियोजनाओं में बजट आवंटन देरी से करना है। विश्व बैंक आई.सी.डी.एस तृतीय में वर्ष 2003–04 में उपलब्धि 100 प्रतिशत दर्शाई गई है लेकिन वर्ष 2004–05 में बजट का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा आई.एफ.ए. गोलियों के वितरण पर व्यय करने व अन्य गतिविधियाँ नगण्य होने के कारण उपलब्धि भी नगण्य मानी गई है। आई.पी.डी. के लाभार्थियों की संख्या विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः वर्ष 2003–04 में परियोजना के लक्ष्य को ही उपलब्धि माना गया है।

2.3 राज्य की जिलेवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति :–

2.3.1 किशोरी शक्ति योजना (सामान्य आई.सी.डी.एस.) के अन्तर्गत जिलेवार वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार से है–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2003–04		2004–05		2005–06		योग	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
1	अजमेर	4.80	1.31	5.12	2.93	4.67	1.47	14.59	5.71
2.	अलवर	4.80	1.76	5.30	3.94	5.77	0.68	15.87	6.38
3.	बांसवाड़ा	8.40	3.96	8.15	5.70	4.40	4.58	20.95	14.24
4.	बांरा	–	–	–	–	1.92	0.27	1.92	0.27
5.	बाड़मेर	6.40	2.63	6.65	4.05	4.40	2.56	17.45	9.24
6.	भरतपुर	8.00	3.96	8.22	4.64	5.50	3.40	21.72	12.00
7.	भीलवाड़ा	7.20	1.99	7.95	2.97	5.78	0.18	20.93	5.14
8.	बीकानेर	4.80	1.23	4.80	2.54	2.89	1.02	12.49	4.79
9.	बूंदी	–	–	–	–	1.10	–	1.10	–
10.	चित्तौड़गढ़	4.80	1.59	5.30	3.40	5.78	2.75	15.88	7.74
11.	चुरू	4.80	0.80	4.80	0.80	3.58	0.55	13.18	2.15
12.	दौसा	–	–	–	–	1.38	–	1.38	–
13.	धौलपुर	3.20	0.32	2.83	0.49	2.20	0.15	8.23	0.96
14.	डूंगरपुर	4.00	3.50	4.09	3.59	2.75	2.34	10.84	9.43
15.	गंगानगर	–	–	–	–	2.20	–	2.20	–
16.	हनुमानगढ़	–	–	–	–	1.10	–	1.10	–
17.	जयपुर	12.00	6.35	12.96	7.93	8.25	6.19	33.21	20.47
18.	जैसलमेर	2.40	0.33	2.40	0.43	1.65	0.95	6.45	1.71
19.	जालौर	4.51	2.71	6.20	4.96	3.85	2.18	14.56	9.85
20.	झालावाड़	3.20	2.23	3.20	1.95	2.75	0.98	9.15	5.16
21.	झुन्झुनू	1.60	0.19	1.60	0.01	2.75	0.31	5.95	0.51
22.	जोधपुर	5.60	3.25	4.40	2.50	4.67	2.94	14.67	8.69
23.	करौली	3.20	1.47	3.98	3.25	2.48	1.16	9.66	5.88
24.	कोटा	3.20	0.51	3.45	2.69	2.75	1.23	9.40	4.43
25.	नागौर	7.20	4.83	7.95	6.98	5.50	6.46	20.65	18.27
26.	पाली	4.80	1.83	5.05	1.24	4.68	1.45	14.53	4.52
27.	राजसमंद	–	–	–	–	1.92	–	1.92	–
28.	स.माधोपुर	4.80	1.10	5.47	2.70	3.30	0.86	13.57	4.66
29.	सीकर	0.80	0.26	0.80	–	2.75	0.09	4.35	0.35
30.	सिरोही	4.00	2.36	5.00	4.14	2.75	2.73	11.75	9.23
31.	टोंक	5.60	2.79	7.35	6.12	3.85	5.00	16.80	13.91
32.	उदयपुर	8.80	4.10	9.10	7.39	6.32	3.91	24.22	15.40
	मुख्यालय	8.25	–	8.25	0.12	8.25	–	24.75	0.12
	योग	141.16	57.36	150.37	87.46	123.89	56.39	415.42	201.21

2.3.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2003–04 में बजट प्रति परियोजना 1.10 लाख के बजाय 0.80 लाख रूपये ही आवंटित किया गया। केवल बांसवाड़ा की 8 परियोजनाओं को 1.05 लाख के हिसाब से कुल 8.40 लाख रूपये आवंटित किये गये। जालौर की 7 परियोजनाओं को 0.80 X 7 = 5.60 लाख से भी कम, 4.51 लाख रूपये ही आवंटित किये गये। 5000 रूपये प्रति परियोजना के हिसाब से कुल 8.25

लाख रूपये मुख्यालय को आवंटित किये, लेकिन मुख्यालय स्तर से इस कार्यक्रम के लिए गतिविधियों में रूचि नहीं ली, जो उदासीनता की द्योतक है। इस प्रकार वर्ष 2003–04 में 141.16 लाख रूपये आवंटन के विपरीत 57.36 लाख (40.63 प्रतिशत) रूपये व्यय किये गये।

2.3.3 वर्ष 2004–05 में प्रति परियोजना 1.10 लाख रूपये के विपरीत प्रथम किश्त में 0.80 लाख का बजट आवंटन किया गया तथा पुनः आवंटन में अजमेर जिले को कुल 0.32 लाख, अलवर जिले को 0.50 लाख, बांसवाड़ा जिले को 1.75 लाख, बाड़मेर जिले को 0.25 लाख, भरतपुर जिले को 0.22 लाख, भीलवाड़ा जिले को 0.75 लाख, चित्तौडगढ़ जिले को 0.50 लाख, डूंगरपुर जिले को 0.09 लाख, जयपुर जिले को 0.96 लाख, जालौर जिले को 0.60 लाख, करौली जिले को 0.78 लाख, कोटा जिलेा को 0.25 लाख, नागौर जिले को 0.75 लाख, पाली जिले को 0.25 लाख, सवाईमाधोपुर जिले को 0.67 लाख, सिरोही जिले को 1.00 लाख, टौंक जिले की सभी परियोजनाओं को 25 X 7 = 1.75 लाख तथा उदयपुर जिले को 0.30 लाख रूपये अतिरिक्त राशि किशोरी बालिका किट हेतु उपलब्ध करवाई गई। इससे प्रतीत होता है कि इस वर्ष में जिन परियोजनाओं ने मांग की उन्हें ही यह राशि उपलब्ध करवाई गई है तथा शेष परियोजनाओं को उपलब्ध नहीं करवाई गई। मुख्यालय को भी 8.25 लाख रूपये आवंटित किये गये, जिसके विपरीत मात्र 0.12 लाख (1.45 प्रतिशत) रूपये व्यय किये गये । यह व्यय दिनांक 8 से 11 फरवरी 2005 को ब्लाक स्तरीय परियोजना अधिकारियों को आमुखीकरण (पुनश्चय) प्रशिक्षण देने पर किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2004–05 में 150.37 लाख रूपये आवंटन के विपरीत 87.46 लाख (58.16 प्रतिशत) रूपये व्यय किये गये।

2.3.4 वर्ष 2005–06 से सामान्य आई.सी.डी.एस. के बजट 1.10 लाख रूपये प्रति परियोजना को भारत सरकार ने 2 किश्तों में देने का प्रावधान कर दिया। 165 परियोजनों की प्रथम किश्त 90.75 लाख रूपये प्राप्त होते ही सभी परियोजनाओं को 0.55 लाख रूपये के हिसाब से 90.75 लाख रूपये अगस्त 2005 में वितरित कर दिये गये, लेकिन दूसरी किश्त के प्राप्त 90.75 लाख रूपयों के पत्र की सूचना विभाग को जून 2006 में प्राप्त हुई, जिसके कारण किसी भी परियोजना को द्वितीय किश्त के रूप में 50–50 हजार रूपये वितरित नहीं किये गये तथा मुख्यालय को आवंटित 8.25 लाख रूपये में से भी व्यय नहीं किये गये। जिसके कारण भारत सरकार से प्राप्त बजट 181. 50 लाख रूपये के विपरीत 99.00 लाख रूपये आवंटित किये तथा मात्र 56.12 लाख रूपये ही व्यय किये गये। इसी प्रकार से सामान्य आई.सी.डी.एस. में जोडी गई 92 परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से प्रति परियोजना 0.55 लाख के हिसाब से प्राप्त 50.60 लाख रूपयों में से आधी राशि (92 X 27500 रूपये) 25.30 लाख रूपये दिसम्बर

2005 को वितरित किये गये, जिसके विपरीत मात्र 0.27 लाख (1.1 प्रतिशत) रूपये बारां जिले की एक परियोजना में व्यय किये गये। इन 92 परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से द्वितीय किश्त के 50.60 लाख रूपये विभाग को मार्च 2006 में प्राप्त हुए थे, जो परियोजनाओं को वितरित नहीं किये गये। इस प्रकार से वर्ष 2005–06 में 92 परियोजनाओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त कुल 101.20 लाख रूपयों में से 25 प्रतिशत राशि परियोजनाओं को वितरित की गई तथा मात्र 27500 रूपये व्यय की गई। इस प्रकार से वर्ष 2005–06 हेतु 257 परियोजनाओं को कुल 123.89 लाख रूपये आवंटित किये गये। जिसके विपरीत कुल 56.39 लाख (45.52प्रतिशत) रूपये व्यय किये गये ।

2.3.5 किशोरी शक्ति योजना (सामान्य आई.सी.डी.एस.) के अन्तर्गत जिलेवार भौतिक प्रगति निम्न प्रकार से है–

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष 2003–04		2004–05		2005–06		योग	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	अजमेर	3600	3600	3600	3600	6600	3600	13800	10800
2.	अलवर	3600	3600	3600	3600	9000	3600	16200	10800
3.	बांसवाड़ा	4800	4800	4800	4800	4800	4800	14400	14400
4.	बांरा	–	–	–	–	4200	600	4200	600
5.	बाड़मेर	4800	4800	4800	4800	4800	4800	14400	14400
6.	भरतपुर	6000	6000	6000	6000	6000	6000	18000	18000
7.	भीलवाड़ा	5400	5400	5400	5500	7200	5400	18000	16300
8.	बीकानेर	3600	3000	3600	3600	3600	3600	10800	10200
9.	बूंदी	–	–	–	–	2400	–	2400	–
10.	चित्तौड़गढ़	3600	3600	3600	3600	9000	3600	16200	10800
11.	चुरू	3600	600	3600	600	4200	600	11400	1800
12.	दौसा	–	–	–	–	3000	–	3000	–
13.	धौलपुर	2400	2400	2400	2400	2400	2400	7200	7200
14.	डूंगरपुर	3000	3000	3000	3000	3000	3000	9000	9000
15.	गंगानगर	–	–	–	–	4800	–	4800	–
16.	हनुमानगढ़	–	–	–	–	2400	–	2400	–
17.	जयपुर	9000	9000	9000	9000	9000	9000	27000	27000
18.	जैसलमेर	1800	1800	1800	600	1800	600	5400	3000
19.	जालौर	4200	2700	4200	4155	4200	3584	12600	10439
20.	झालावाड़	2400	2400	2400	2400	3600	2400	8400	7200
21.	झुन्झुनू	1200	100	1200	–	4800	80	7200	180
22.	जोधपुर	4200	4200	4200	4200	6000	4200	14400	12600
23.	करौली	2400	–	2400	2400	3000	2400	7800	4800
24.	कोटा	2400	2400	2400	2400	3600	2400	8400	7200
25.	नागौर	5400	5400	5400	5400	6600	5400	17400	16200
26.	पाली	3600	3580	3600	3580	6600	3580	13800	10740
27.	राजसमंद	–	–	–	–	4200	–	4200	–
28.	स.माधोपुर	3600	3600	3600	3600	3600	3600	10800	10800
29.	सीकर	600	600	600	–	5400	600	6600	1200
30.	सिरोही	3000	3000	3000	3000	3000	3000	9000	9000
31.	टोंक	4200	4200	4200	4200	4200	4200	12600	12600
32.	उदयपुर	6600	6604	6600	6486	7200	6484	20400	19574
	योग	**99000**	**90384**	**99000**	**92921**	**154200**	**93528**	**352200**	**276833 (78.6%)**

2.3.6 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2003–04 व 2004–05 में भौतिक उपलब्धि 91.30 प्रतिशत व 93.86 प्रतिशत रही है, जबकि उक्त अवधि में बजट व्यय प्रतिशत काफी कम है। इस योजना में किशोरी बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के लाभ दिये जाते हैं, कोई भी पंजीकृत बालिका अगर एक भी लाभ लेती है/कार्यक्रम में भाग लेती है, तो विभाग उसे लाभार्थी मान लेता है। वर्ष 2005–06 में लाभार्थियों की उपलब्धि 60.65 प्रतिशत ही रही, इसका कारण यह है कि 92 परियोजनाओं में बजट आवंटन कम व देरी से करने के कारण 92 X 600 = 55200 लक्ष्यों के विपरीत उपलब्धि मात्र 600 (1.1 प्रतिशत) की ही रही है।

2.3.7 किशोरी बालिका योजना (विश्व बैंक आई.सी.डी.एस III व आई पी.डी) के अन्तर्गत जिलेवार आवंटित बजट व व्यय तथा भौतिक प्रगति :–

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सूचना जिलेवार उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण जिलेवार विवरण देना सम्भव नहीं है।

2.3.8 महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय स्तर पर जिलेवार, किशोरी बालिकाओं को दिये गये व्यावसायिक प्रशिक्षण, वितरित किशोरी बालिका किट/सामग्री, शैक्षणिक भ्रमण आदि की संख्या के बारे में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। विभाग के अनुसार इस प्रकार की सभी सूचनाएं परियोजना स्तर पर ही संकलित की जाती है।

2.4 चयनित जिलों व परियोजनाओं का प्रगति विवरण :–

अध्ययन हेतु 6 जिलों यथा जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, नागौर व बाड़मेर का चयन किया गया है । चयनित सभी जिलों से 2–2 परियोजनाओं का चयन किया गया है, लेकिन भीलवाड़ा के जिला कार्यालय से विश्व बैंक आई.सी.डी.एस. तृतीय की सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण, उस जिले में एक ही परियोजना का चयन किया गया। इस प्रकार से अध्ययन हेतु कुल 11 बाल विकास परियोजनाओं का चयन किया गया।

2.4.1 चयनित जिलेवार कुल परियोजनाओं की संख्या का मदवार विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र. सं	चयनित जिले का नाम	कुल परियोजनाओं की मदवार संख्या									कुल परियो–जनाएं
		सामान्य आई.सी.डी.एस			विश्व बैंक आई.सी.डी.एस.तृतीय			आई.पी.डी			
		2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06	
1.	जयपुर	15	15	16	–	–	–	–	–	–	16
2.	उदयपुर	11	11	12	–	–	–	–	–	–	12
3.	भरतपुर	10	10	10	–	–	–	3 (दोहरा लाभ)	–	–	10
4.	भीलवाड़ा	9	9	12	3	3	–	–	–	–	12
5.	नागौर	9	9	13	2	2	–	–	–	–	13
6.	बाड़मेर	8	8	8	–	–	–	–	–	–	8
	योग	62	62	71	5	5	–	3 (दोहरा लाभ)	–	–	71
	चयनित परियोजनाएं	11	11	11	–	–	–	1 (दोहरा लाभ)	–	–	11

2.4.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 6 जिलों में वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक में सामान्य आई.सी.डी.एस के अतन्तर्गत 62,62 व 71 परियोजनाएं संचालित थी, विश्व बैंक आई.सी.डी.एस तृतीय में वर्ष 2003–04 व 2004–05 में 5–5 परियोजनाएं संचालित थी एवं आई.पी.डी. के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में भरतपुर जिले की 3 परियोजनाएं यथा बैर, सेवर व रूपवास संचालित थी। आई.पी.डी. की तीनों परियोजनाएं सामान्य आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत भी संचालित थी, इससे स्पष्ट होता है कि आई.पी.डी. योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं को दोहरा लाभ दिया गया है। चयनित 11 परियोजनाओं में आई.पी.डी. की एक परियोजना सेवर भी शामिल है।

2.4.3 चयनित जिलों में सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत वर्षवार आवंटित बजट व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है– (राशि लाख रूपयों में)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	बजट विवरण							
		वर्ष 2003–04		2004–05		2005–06		योग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	जयपुर	12.00	6.49	12.45	7.55	9.11	6.19	33.56	20.23
2.	उदयपुर	8.50	4.15	9.07	6.91	6.04	3.91	23.61	14.97
3.	भरतपुर	7.20	3.05	7.20	3.83	7.20	2.85	21.60	9.73
4.	भीलवाड़ा	7.20	1.99	9.45	2.97	5.78	0.18	22.43	5.14
5.	नागौर	7.20	4.83	7.95	6.62	8.20	6.33	23.35	17.78
6.	बाड़मेर	6.40	2.43	6.40	4.05	4.40	2.56	17.20	9.04
	योग	48.50	22.94	52.52	31.93	40.73	22.02	141.75	76.89 (54.24 %)

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने व मद संख्या 2.3.1 में उक्त जिलों की दी गई जिलों की प्रगति से मिलान करने पर स्पष्ट होता है कि चयनित 6 जिलों की जिला प्रलेख सूचना, राज्य प्रलेख में दी गई सूचना से किसी भी जिले में मिलान नहीं खाती है। जिला प्रलेख अनुसूची के अनुसार, चयनित जिलों की 3 वर्षो में आवंटित व व्यय राशि क्रमशः 141.75 लाख व 76.89 लाख रूपये है, जबकि राज्य प्रलेख अनुसूची के अनुसार उपरोक्त 6 जिलों की कुल आवंटन व व्यय राशि 138.18 लाख व 80.52 लाख रूपये है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान पाया गया है कि राज्य प्रलेख अनुसूची की सूचना सही है। राज्य प्रलेख सूचना परियोजनावार बजट वितरण व परियोजना से प्राप्त व्यय का विवरण लेखा शाखा से लिया गया है। जबकि चयनित जिले की जिला प्रलेख सूचना संबंधित जिले के उप निदेशक कार्यालय से ली गई है, जिसमें अंतिम संशोध्न शामिल नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग के जिला स्तर के कार्यालयों द्वारा परियोजनाओं में समन्वय एवं मोनेटरिंग नहीं की जाती है।

2.4.4 चयनित जिलों में सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	लाभार्थियों का विवरण							
		वर्ष						योग	
		2003–04		2004–05		2005–06			
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	जयपुर	9000	9000	9000	9000	9000	9000	27000	27000
2.	उदयपुर	6600	5514	6600	6457	7200	6329	20400	18300
3.	भरतपुर	6000	6000	6000	6000	6000	6000	18000	18000
4.	भीलवाड़ा	5400	4900	5400	4800	5400	600	16200	10300
5.	नागौर	5400	5400	5400	5400	6600	5400	17400	16200
6.	बाड़मेर	4800	4800	4800	4800	4800	4800	14400	14400
	योग	37200	35614	37200	36457	39000	32129	113400	104200 (91.89%)

तालिका के अनुसार चयनित जिलों में लाभार्थी किशोरी बालिकाओं की संख्या 1,04,200 रही, जो कि लक्ष्य की तुलना में 91.89 प्रतिशत है। चयनित जिलों का राज्य प्रलेख सूचना की तालिका (मद संख्या 2.3.5) से मिलान करने पर उदयपुर व भीलवाड़ा की सूचना भिन्न पाई गई है। उदयपुर की सूचना में मामूली अन्तर व भीलवाड़ा की सूचना में अत्यधिक अन्तर पाया गया है। राज्य प्रलेख के अनुसार भीलवाड़ा की 3 वर्षो की लाभार्थी संख्या 16300 है, जबकि जिला प्रलेख के अनुसार यह मात्र 10300 है, जो कि 6000 कम है। इससे प्रतीत होता है कि भीलवाड़ा जिला कार्यालय का रिकार्ड अद्योतन नहीं है।

2.4.5 सामान्य आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत चयनित महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं को आवंटित बजट व व्यय राशि निम्न प्रकार से है–

(राशि हजार रूपयों में)

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित परियोजना का नाम	बजट विवरण							
			वर्ष						योग	
			2003–04		2004–05		2005–06			
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	जयपुर	बस्सी	80.00	57.84	80.00	55.90	55.00	34.85	215.00	148.59
		आमेर	80.00	36.16	80.00	39.88	55.00	40.75	215.00	116.79
2.	उदयपुर	सलुम्बर	80.00	17.00	80.00	51.00	55.00	21.23	215.00	89.23
		गिर्वा	80.00	45.07	80.00	60.30	55.00	37.48	215.00	142.85
3.	भरतपुर	भरतपुर (शहर)	80.00	56.82	80.00	39.35	80.00	46.96	240.00	143.13
		सेवर	80.00	23.66	80.00	26.78	80.00	18.60	240.00	69.04
4.	भीलवाड़ा	शाहपुरा	80.00	31.95	80.00	24.69	55.00	–	215.00	56.64
5.	नागौर	डीडवाना	80.00	57.45	105.00	99.16	105.00	96.81	290.00	253.42
		जायल	80.00	79.92	105.00	104.35	100.00	99.92	285.00	284.19
6.	बाड़मेर	बाडमेर (ग्रामीण)	80.00	38.50	80.00	51.43	55.00	34.41	215.00	124.34
		बायतु	80.00	–	80.00	14.09	55.00	21.21	215.00	35.30
	योग		**880.00**	**444.37**	**930.00**	**566.93**	**750.00**	**452.22**	**2560.00**	**1463.52**

उपरोक्त तालिका के स्पष्ट है कि चयनित 11 परियोजनाओं में 3 वर्षो की अवधि में सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत कुल 25.60 लाख रूपये का बजट आवंटन किया गया, जिसके विपरीत 14.64 लाख (57.19 प्रतिशत) रूपये व्यय किये गये, इससे स्पष्ट है कि आवंटित राशि का शत प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया, जिससे प्रगति संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। चयनित परियोजनाओं में सबसे अधिक बजट का उपयोग नागौर जिले की जायल (99.72 प्रतिशत) व डीडवाना (87.39 प्रतिशत) परियोजनाओं में किया गया है। सबसे कम बजट उपयोग बायतु (16.42 प्रतिशत),शाहपुरा (26.34 प्रतिशत) व सेवर (28.77 प्रतिशत)परियोजनाओं में किया गया है। बजट उपयोग कम होने का कारण बायतु में प्रेरक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अशिक्षित होना व बालिका केन्द्रों का क्षेत्रफल अधिक होना बतलाया गया है। शाहपुरा में बजट देरी से आने के कारण व्यय कम होना कारण बतलाया गया है। सेवर में कारणों का विवरण नहीं दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि विभाग स्तर पर कार्यो की समीक्षा के साथ–साथ इनकी मोनेटरिंग एवं समन्वय किया जना चाहिए।

2.4.6 सामान्य आई.सी.डी.एस. योजनान्तर्गत चयनित महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं में लाभार्थी किशोरी बालिकाओं का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र. सं.	चयनित जिला	चयनित परियोजना का नाम	लाभार्थियों का विवरण							
			वर्ष							
			2003–04		2004–05		2005–06		योग	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	जयपुर	बस्सी	600	600	600	600	600	600	1800	1800
		आमेर	600	600	600	600	600	600	1800	1800
2.	उदयपुर	सलुम्बर	600	600	600	593	600	588	1800	1781
		गिर्वा	600	600	600	587	600	593	1800	1780
3.	भरतपुर	भरतपुर (शहर)	600	600	600	600	600	600	1800	1800
		सेवर	600	600	600	600	600	600	1800	1800
4.	भीलवाड़ा	शाहपुरा	600	700	600	600	600	–	1800	1300
5.	नागौर	डीडवाना	600	600	600	600	600	600	1800	1800
		जायल	600	600	600	600	600	600	1800	1800
6.	बाड़मेर	बाडमेर (ग्रामीण)	600	600	600	600	600	600	1800	1800
		बायतु	600	600	600	600	600	600	1800	1800
	योग		**6600**	**6700**	**6600**	**6580**	**6600**	**5981**	**19800**	**19261 (97.28%)**
	औसतप्रति परियोजना		**600**	**609**	**600**	**598**	**600**	**544**	**1800**	**1751**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 11 परियोजनाओं में तीन वर्षो के लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि 97.28 प्रतिशत है, जबकि बजट व्यय 57.19 प्रतिशत ही रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पंजीकृत बालिका विभिन्न कार्यक्रमों में से एक भी कार्यक्रम में भाग लेती है तो विभाग उसे लाभार्थी मान लेता है। उपरोक्त तालिका से

यह भी स्पष्ट होता है कि उपलब्धियाँ बढ़ा चढ़ाकर दर्शाई है। उदाहरणार्थ वर्ष 2003–04 में चयनित 11 परियोजनाओं में 6600 के लक्ष्य के विपरीत 6700 (101.52प्रतिशत) उपलब्धियाँ दर्शाई गई है, इसका कारण शाहपुरा परियोजना में 600 के लक्ष्य के विपरीत 700 उपलब्धियाँ दर्शाई गई है तथा बायतु परियोजना में उपलब्धि तो 600 दर्शाई गई है जबकि उक्त वर्ष में बजट व्यय शून्य दर्शाया गया है। अतः विभाग स्तर पर उक्त तथ्यों की समीक्षा करते हुये इनकी मोनेटरिंग की जावे।

2.4.7 विश्व बैंक आई.सी.डी.एस. तृतीय व आई.पी.डी योजनान्तर्गत चयनित जिलों व चयनित परियोजनाओं की वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार से है–

क्र. सं.	मद	चयनित संख्या	बजट विवरण							
			वर्ष						योग	
			2003–04		2004–05		2005–06			
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	विश्व बैंक आई. सी.डी. एस. तूतीय	6 जिले	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	–	–	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		11 परियोजनाएं	शून्य	शून्य	–	–	–	–	शून्य	शून्य
2.	आई. पी.डी	6 जिले	468436	468436	–	–	–	–	468436	468436
		11 परियोजनाएं	107536	107536	–	–	–	–	107536	107536

2.4.8 चयनित 6 जिलों में से 2 जिलों में वर्ष 2003–04 व 2004–05 में 5 परियोजनाएं विश्व बैंक योजनान्तर्गत स्वीकृत थी। इनमें से 3 परियोजनाएं भीलवाड़ा जिले की थी, जिनका रिकार्ड जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बजट आंवटन–व्यय व लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी तथा भीलवाड़ा जिले की दूसरी परियोजना का क्षेत्रीय कार्य नहीं किया जा सका। विश्व बैंक की 2 परियोजनाएं उक्त अवधि में नागौर जिले (नागौर, कुचामन) में कार्यरत थी जिनमें 2 वर्षो में बजट आवंटन नहीं किया गया है। केवल आई.एफ.ए. टेबलेट का वितरण किया तथा दोनों परियोजनाओं में 2 वर्षो तक 600–600 कुल 2400 लाभार्थियों की प्रगति मानली गई, जो कि गलत है क्योंकि निदेशालय से भेजी गई आई.एफ.ए. गोलियों के वितरण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया ।

2.4.9 चयनित 6 जिलों में से एक जिला भरतपुर की 3 परियोजनाओं (बैर,सेवर,रूपवास) में वर्ष 2003–04 में आई.पी.डी. योजना संचालित थी लेकिन इस वर्ष में ये परियोजनाएं सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत भी संचालित थी। वर्ष 2003–04 में इन तीनों परियोजनाओं को 4.68 लाख रूपये आवंटित किये गये व 100 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया तथा 1800 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। चयनित 11 परियोजनाओं में से आई.पी.डी. के अन्तर्गत भरतपुर जिले की एक

परियोजना सेवर चयनित थी। सेवर परियोजना को आई.पी.डी के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में 1.08 लाख रूपये आवंटित किये गये, जो 100 प्रतिशत व्यय किये गये तथा 600 किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

2.4.10 **व्यवसायिक प्रशिक्षण व वितरित किटः–**

चयनित जिलों की जिला प्रलेख सूचना का अवलोकन करने पर विदित हुआ है कि किशोरी बालिकाओं को दिये जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण व उनको वितरित

किशोरी बालिका किट की सूचना जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं है। चयनित 11 परियोजनाओं की प्रलेख सूचना के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण व वितरित किट की सूचना निम्न प्रकार से है–

वर्ष	कुल लाभार्थी	व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं की संख्या	वितरित किशोरी बालिका किट संख्या
2003–04	6700	1340	740
2004–50	6580	1340	660
2005–06	5981	1300	660
योग	**19261**	**3980**	**2060**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि तीनों वर्षो में कुल 19261 लाभार्थियों में से मात्र 3980 (20.66 प्रतिशत) लाभार्थियों को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया, तथा 2060 (10.70 प्रतिशत) किशोरियों को ही किट/सामग्री उपलब्ध करवाई गई, जो योजना की धीमी प्रगति को दर्शाती है। परियोजना स्तर पर इसका कारण बजट अभाव व निदेशालय से बालिका किट प्राप्त नहीं होना बतलाया गया है।

2.4.11 शैक्षणिक भ्रमण :–

चयनित 6 जिलों की प्रलेख सूचना के अनुसार बालिकाओं को शैक्षणिक भ्रमण की सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन चयनित 11 परियोजनाओं की प्रलेख सूचना के अनुसार वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक की अवधि में 9,9 व 7 परियोजनाओं में बालिकाओं को शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया जो संतोषप्रद है।

2.5 चयनित बालिका केन्द्रों/आंगनबाडियों का प्रगति विवरणः–

अध्ययन हेतु 11 महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं की 44 आंगनबाड़ियों/किशोरी बालिका केन्द्रों का चयन किया गया है। इन चयनित केन्द्रों की प्रेरकों से केन्द्र की कुल आबादी, 11 से 18 वर्ष आयु की कुल किशोरी बालिकाएं तथा चयनित, पंजीकृत व लाभान्वित किशोरी बालिका संख्या की प्रगति ली गई तथा इनको दिये गये विभिन्न प्रकार के लाभों का विवरण भी लिया गया, जिनका क्रमवार विवरण नीचे दिया जा रहा है।

2.5.1 चयनित बालिका केन्द्रों को दिये गये लाभ का वर्ष, क्षेत्र की आबादी, कुल किशोरी बालिका संख्या, चयनित व लाभान्वित बालिकाओं की औसत संख्या का विवरण निम्न प्रकार से है –

क्र.सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित बालिका केन्द्रों की वर्षवार लाभान्वित संख्या				चयनित बालिका केन्द्र क्षेत्र की औसत आबादी	क्षेत्र में कुल किशोरी बालिकाओं की औसत संख्या	चिन्हित बालिकाओं की औसत संख्या	लाभ हेतु चयनित /पंजीकृत बालिकाओं की औसत संख्या	वास्तविक लाभार्थियों की औसत संख्या
		2003–04	2004–05	2005–06	योग					
1	जयपुर	–	–	8	8	2101	66	35	30	27
2.	उदयपुर	2	4	2	8	962	37	37	29	29
3.	भरतपुर	4	3	1	8	1519	74	30	30	30
4.	भीलवाड़ा	4	–	–	4	1507	50	45	45	35
5.	नागौर	3	1	4	8	1161	45	38	30	27
6.	बाड़मेर	1	4	3	8	902	66	53	28	28
	योग	**14**	**12**	**18**	**44**	**8152**	**338**	**238**	**192**	**176**
	औसत प्रति बालिका केन्द्र		**–**	**–**	**–**	**1359**	**56**	**40**	**32**	**29**

चयनित/पंजीकृत सभी बालिकाओं के द्वारा लाभ नहीं लेने के निम्न कारण बतलाये गये है–

1. बालिकाएं मजदूरी, घरेलू कार्य व अन्य कारणों से बालिका केन्द्र नहीं आती ।
2. कुछ बालिकाएं शादी/गौना हो जाने के कारण ससुराल चली जाती हैं।
3. लक्ष्य कम होने के कारण पंजीकृत सभी बालिकाओं को लाभ नहीं दिया गया।
4. कुछ बालिकाएं कार्यक्रम के प्रति रूचि नहीं रखती अर्थात् जानबूझकर भाग नहीं लेती।
5. बालिकाओं के माता–पिता/संरक्षक द्वारा बालिकाओं को केन्द्र पर/बाहर नहीं भेजा जाता है। अतः वास्तविक लाभार्थी कम हो जाती हैं।

2.5.2 चयनित बालिका केन्द्रों/आंगनबाड़ियों में से कार्यक्रमवार दिये गये लाभ वाले बालिका केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार से है–

क्र. सं.	जिले का नाम	चयनित बालिका केन्द्रों की संख्या	कार्यक्रमवार लाभान्वित किशोरी बालिका केन्द्रों की संख्या					
			पोषाहार	पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा	आई.एफ.ए. गोलियाँ	व्यावसायिक प्रशिक्षण	शैक्षणिक भ्रमण	स्वास्थ्य जाँच
1	जयपुर	8	7	8	8	4	8	8
2.	उदयपुर	8	8	8	8	3	8	8
3.	भरतपुर	8	8	8	8	4	5	8
4.	भीलवाड़ा	4	4	4	4	–	–	4
5.	नागौर	8	7	8	8	8	7	7
6.	बाड़मेर	8	8	8	8	–	–	1
	योग	**44**	**42**	**44**	**44**	**19**	**28**	**36**
चयनित बालिका केन्द्रों का प्रतिशत			**95.5**	**100.00**	**100.00**	**43.2**	**63.6**	**81.8**

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि चयनित सभी 44 बालिका केन्द्रों में पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी गई तथा आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण किया गया । 42 आंगन बाडियों में कमजोर बालिकाओं को पोषाहार से जोड़ा गया तथा 36 बालिका केन्द्रों को स्वास्थ्य जाँच से जोड़ा गया। 28 बालिका केन्द्रों की बालिकाओं का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया, लेकिन मात्र 19 (43.2.प्रतिशत) बालिका केन्द्रों पर ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया जो कि अपर्याप्त है। चूंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण की बालिकाओं के

आत्मनिर्भर होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः यह सभी बालिका केन्द्रों पर दिया जाना चाहिये।

2.5.3 लाभार्थियों की कुल संख्या तथा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये गये लाभों का विवरण निम्न प्रकार से है–

क्र.स	जिले का नाम	चयनित बालिका केन्द्रों की संख्या	कुल लाभार्थियों की संख्या	कार्यक्रमवार लाभान्वित बालिकाओं की संख्या					
				पोषाहार	पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा	आई. एफ.ए. गोलियाँ	व्यावसायिक प्रशिक्षण	शैक्षणिक भ्रमण	स्वास्थ्य जाँच
1	जयपुर	8	240	12	225	210	8	194	187
2.	उदयपुर	8	230	16	230	230	40	230	230
3.	भरतपुर	8	237	16	237	237	119	149	237
4.	भीलवाड़ा	4	140	8	140	140	—	—	140
5.	नागौर	8	215	42	181	285	210	133	235
6.	बाड़मेर	8	220	20	220	225	—	—	20
	योग	44	1282	114	1233	1327	377	706	1049
कुल लाभार्थियों का प्रतिशत			—	**8.89**	**96.18**	**103.51**	**29.41**	**55.07**	**81.83**
प्रति बालिका केन्द्र औसत संख्या			**29**	**2.6**	**28**	**30**	**8.5**	**16**	**24**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण कुल लाभार्थियों से भी अधिक (103.51 प्रतिशत) बालिकाओं को किया है, इसका कारण नागौर व बाड़मेर के बालिका केन्द्रों में अधिक बालिकाओं को आई.एफ.ए का वितरण करना है। भीलवाड़ा व बाड़मेर की चयनित किसी भी आंगनबाड़ी में न तो व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया तथा न ही शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया है, इससे विदित होता है कि इन दोनों ही जिलों में प्रेरक ढंग से कार्य नहीं करती हैं तथा परियोजना स्तर से न तो व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा न ही केन्द्रों को निर्देश दिये जाते है। जयपुर जिले में भी व्यावसायिक प्रशिक्षण का स्तर काफी कमजोर है। जयपुर जिले में

4 बालिका केन्द्रों की 8 किशोरी बालिकाओं को परियोजना स्तर पर ही प्रशिक्षण दिया गया है, आंगनबाड़ी स्तर पर किसी को भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया। विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सभी बालिका केन्दों पर व सभी लाभार्थियों को नहीं मिल पाने के निम्न कारण बतलाये गये है–

1. प्रेरक को कार्यक्रम क्रियान्वयन की जानकारी ही नहीं होती अर्थात् परियोजना स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती व निर्देश भी नहीं दिये जाते है।
2. परियोजना स्तर पर केवल 2 बालिकाओं को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जरूरत मंद व रूचि रखने वाली सभी बालिकाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता ।
3. परियोजना कार्यालय गाँव से दूर होने के कारण बालिकाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण में भाग नहीं लेती है।
4. बजट देरी से मिलने के कारण भी परियोजना अधिकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं करवा पाते हैं।

अध्याय तृतीय

अध्ययन परिणाम

किशोरी शक्ति योजना शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। किशोरी बालिका योजना विश्व बैंक आई.सी.डी.एस. तृतीय के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 तक तथा आई.पी.डी. के अन्तर्गत 2003–04 तक संचालित थी। इस योजनान्तर्गत 11 से 18 वर्ष की उन बालिकाओं का उनके संर्वागीण विकास हेतु चयन किया जाता है जो कभी स्कूल नहीं गई हो/स्कूल बीच में ही छोड़ दिया है एवं गरीब हो तथा मजदूरी पर जाती हो।

3.1 अध्ययन प्रतिदर्श :

3.1.1 अध्ययन हेतु 6 जिलों, 11 महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं, 44 आंगनबाडियों/ किशोरी बालिका केन्द्रों का चयन किया गया। अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य के लिए निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग से एक राज्य प्रलेख अनुसूची भरी गई तथा चयनित 6 जिलों से निम्न अनुसूचियाँ भरी गई :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	भरी गई अनुसूचियों की संख्या					
		जिला प्रलेख अनुसूची	परियोजना प्रलेख अनुसूची	आंगनबाड़ी/ प्रेरक प्रलेख अनुसूची	लाभ प्राप्तकर्ता अनुसूची	अधिकारी/ गैर अधिकारी अनुसूची	योग
1.	जयपुर	1	2	8	40	13	64
2.	उदयपुर	1	2	8	40	16	67
3.	भरतपुर	1	2	8	40	22	73
4.	भीलवाड़ा	1	1	4	20	7	33
5.	नागौर	1	2	8	40	17	68
6.	बाड़मेर	1	2	8	40	12	63
	योग	**6**	**11**	**44**	**220**	**87**	**368**

3.1.2 अध्ययन हेतु भरी गई 6 जिला प्रलेख, 11 परियोजना प्रलेख तथा 44 आंगनबाड़ी/प्रेरक प्रलेख अनुसूचियों में विभाग से प्राप्त द्वितीयक समंकों का समावेश किया गया है, जिसका विश्लेषण प्रगति समीक्षा में किया गया है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान भरी गई 220 लाभप्राप्तकर्ता अनुसूचियों में द्वितीय समंक तथा लाभार्थियों के विचार व सुझाव दिये गये हैं। चयनित 87 कार्यकारी अनुसूचियों में से 61 में अधिकारियों के एवं 26 अनुसूचियों में जनप्रतिनिधियों से योजना के बारे में विचार लिये गये हैं।

3.2 चयनित आंगनबाड़ी/किशोरी बालिका केन्द्रों में से लाभवार बालिका केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित किशोरी बालिका केन्द्रों की संख्या	लाभवार आंगनबाड़ी/बालिका केन्द्र संख्या					
			पोषाहार वितरण	आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण	स्वास्थ्य जांच का लाभ	पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा	व्यावसायिक प्रशिक्षण	शैक्षणिक भ्रमण
1.	जयपुर	8	7	8	8	8	4	8
2.	उदयपुर	8	8	8	8	8	3	8
3.	भरतपुर	8	8	8	8	8	4	5
4.	भीलवाड़ा	4	4	4	4	4	–	–
5.	नागौर	8	7	8	7	8	8	7
6.	बाड़मेर	8	8	8	1	8	–	–
	योग	**44**	**42**	**44**	**36**	**44**	**19**	**28**
	प्रतिशत		**95.5**	**100**	**81.8**	**100**	**43.2**	**63.6**

3.2.1 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि "पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा" तथा आई.एफ. ए.गोलियों के वितरण का कार्य सभी बालिका केन्द्रों पर किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण सबसे कम मात्र 19 (43.2 प्रतिशत) बालिका केन्द्रों पर ही दिया गया है। स्वास्थ्य जांच का कार्य भी 36 बालिका केन्द्रों पर ही किया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि इन गतिविधियों में निरन्तरता लाई जा कर सुधार किया जावे।

3.3 चयनित बालिका केन्द्र व लाभार्थियों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित किशोरी बालिका केन्द्रों की संख्या	चयनित लाभार्थियों की संख्या	बालिका केन्द्र			लाभार्थी संख्या		
				2003–04	2004–05	2005–06	2003–04	2004–05	2005–06
1.	जयपुर	8	40	–	–	8	–	–	40
2.	उदयपुर	8	40	2	4	2	10	20	10
3.	भरतपुर	8	40	4	3	1	20	15	5
4.	भीलवाड़ा	4	20	4	–	–	20	–	–
5.	नागौर	8	40	3	1	4	15	5	20
6.	बाड़मेर	8	40	1	4	3	5	20	15
	योग	**44**	**220**	**14**	**12**	**18**	**70**	**60**	**90**
	प्रतिशत			**31.8**	**27.3**	**40.9**	**31.8**	**27.3**	**40.9**

3.3.1 तालिका अनुसार चयनित 44 किशोरी बालिका केन्द्रों में वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 में 14, 12 व 18 केन्द्रों की 70, 60, 90 किशोरी बालिकाओं को लाभ दिया गया। भीलवाड़ा जिले के चयनित सभी बालिका केन्द्रों को वर्ष 2003–04 में, जयपुर जिले के केन्द्रों को वर्ष 2005–06 में तथा शेष जिलों के केन्द्रों को विभिन्न वर्षों

में लाभ दिया गया है। चयनित लाभार्थियों में 31.8 प्रतिशत वर्ष 2003–04 के, 27.3 प्रतिशत लाभार्थी वर्ष 2004–05 के तथा 40.9 प्रतिशत लाभार्थी वर्ष 2005–06 के हैं।

3.4 चयनित लाभार्थियों की जाति, आयु व शैक्षणिक स्तर निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित किशोरी बालिका केन्द्रों की संख्या	चयनित लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की जाति			लाभार्थियों की आयु		लाभार्थियों का शैक्षणिक स्तर					
				अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य	11–14 वर्ष	15–18 वर्ष	निरक्षर	साक्षर	प्राईमरी	मिडिल	सैकण्डरी	अधिक
1.	जयपुर	8	40	13	9	18	20	20	1	14	15	9	1	–
2.	उदयपुर	8	40	2	28	10	19	21	4	9	20	7	–	–
3.	भरतपुर	8	40	16	–	24	2	38	2	5	11	14	7	1
4.	भीलवाड़ा	4	20	5	2	13	8	12	–	8	4	3	4	1
5.	नागौर	8	40	8	–	32	6	34	3	6	12	7	8	4
6.	बाड़मेर	8	40	12	1	27	15	25	–	23	15	2	–	–
	योग	**44**	**220**	**56**	**40**	**124**	**70**	**150**	**10**	**65**	**77**	**42**	**20**	**6**
	प्रतिशत			**25.4**	**18.2**	**56.4**	**31.8**	**68.2**	**4.6**	**29.5**	**35.0**	**19.1**	**9.1**	**2.7**

3.4.1 तालिका के अनुसार चयनित 220 बालिकाओं में से 56 (25.4 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 40(18.2 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति तथा 124 (56.4 प्रतिशत) अन्य जाति की है। चयनित लाभार्थियों में पिछड़ी जाति की नागौर में सबसे कम(20 प्रतिशत) एवं उदयपुर में सबसे अधिक (75 प्रतिशत) बालिकाऐं हैं।

3.4.2 लाभार्थियों से लाभान्वित वर्ष में उनकी आयु के बारे में मालूम किया गया। 220 लाभार्थी किशोरियों में से 70(31.8 प्रतिशत) की आयु 11 से 14 वर्ष तथा 150(68.2 प्रतिशत) का आयु वर्ग 15 से 18 वर्ष था। इससे विदित होता है कि ज्यादातर लाभार्थी बड़े आय वर्ग की थी, जिन्हें इस तरह के लाभ की ज्यादा आवश्यकता होती है।

3.4.3 चयनित 220 उत्तरदाताओं में से सर्वे दिनांक को 10(4.6 प्रतिशत) बालिकायें निरक्षर, 65(29.5 प्रतिशत) साक्षर, 77(35.0 प्रतिशत) प्राईमरी, 42(19.1 प्रतिशत) मिडिल, 20(9.1 प्रतिशत) सैकण्डरी तथा 6(2.7 प्रतिशत) सैकण्डरी से अधिक शिक्षित थी। साक्षर बालिकाओं में से अधिकांश ने किशोरी बालिका केन्द्र से साक्षर होना बतलाया है। बाड़मेर व भीलवाड़ा में कोई भी उत्तरदाता निरक्षर नहीं पाई गई।

3.4.4 वैवाहिक स्तर – सर्वे दिनांक को चयनित 220 उत्तरदाताओं में से 26(11.8 प्रतिशत) विवाहित पाई गई है, लेकिन लाभ के समय वे बालिकाऐं या तो अविवाहित थी या गौना नहीं हुआ था। इससे विदित होता है कि ससुराल जाने वाली किसी भी किशोरी बालिका को योजना का लाभ नहीं दिया गया है।

3.5 **योजना की जानकारी व लाभ** – चयनित सभी 220 उत्तरदाताओं ने योजना के बारे में जानकारी होना बतलाया है तथा शत–प्रतिशत किशोरियों ने योजनान्तर्गत एक या एक से अधिक प्रकार के लाभ लेना बतलाया है। योजना के बारे में जानकारी किस माध्यम से मिली, के प्रत्युत्तर में 211 (95.9 प्रतिशत) किशोरियों ने प्रेरक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 3 (1.4 प्रतिशत) ने महिला पर्यवेक्षक तथा 6 (2.7 प्रतिशत) ने आंगनबाड़ी सहायिका के नाम का उल्लेख किया है। इससे प्रतीत होता है कि इस कार्यक्रम के संचालन में जनप्रतिनिधि यथा पंच/सरपंच किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं। अतः सुझााव दिया जाता है कि कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विभाग स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें कार्यक्रम से जोड़ा जावे।

3.6 पोषाहार कार्यक्रम :

3.6.1 पोषाहार कार्यक्रम का लाभ लेने के बारे में सभी 220 उत्तरदाताओं से जानकारी ली गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	पोषाहार लाभ प्राप्त करने वाली लाभार्थी	पोषाहार कार्यक्रम								
				पोषाहार की अवधि			पोषाहार की गुणवत्ता			पोषाहार से लाभ		
				1 से 3 माह	3 से 6 माह	6 माह से अधिक	स्वादिष्ट	सामान्य	खराब	स्वास्थ्य में सुधार हुआ	पोष्टिकता बढ़ी है	कोई लाभ नहीं
1.	जयपुर	40	1	1	–	–	1	–	–	1	–	–
2.	उदयपुर	40	6	2	1	3	1	5	–	6	–	–
3.	भरतपुर	40	21	1	16	4	4	17	–	–	21	–
4.	भीलवाड़ा	20	8	–	8	–	8	–	–	8	–	–
5.	नागौर	40	4	1	1	2	2	2	–	2	1	1
6.	बाड़मेर	40	16	–	16	–	16	–	–	16	–	–
	योग	**220**	**56**	**5**	**42**	**9**	**32**	**24**	**–**	**33**	**22**	**1**
	प्रतिशत		**25.5**	**8.9**	**75.0**	**16.1**	**57.1**	**42.9**	**–**	**58.9**	**39.3**	**1.8**

3.6.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 220 बालिकाओं में से 56(25.5 प्रतिशत) किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों से जोड़ा गया तथा उनमें से 6 को 3 माह तक की अवधि, 42 को 3 से 6 माह की अवधि तथा 9 को 6 माह से भी अधिक अवधि तक पोषाहार का लाभ दिया गया है। पोषाहार की गुणवत्ता के बारे में पूछने पर 56 में से 32(57.1 प्रतिशत) ने स्वादिष्ट, 24(42.9 प्रतिशत) ने सामान्य किस्म का पोषाहार बतलाया। किसी भी लाभ प्राप्तकर्ता ने पोषाहार को खराब नहीं बतलाया है। पोषाहार से लाभ के बारे में मालूम करने पर 33 ने स्वास्थ्य में सुधार होना बतलाया। 22 ने शरीर में पोष्टिकता बढ़ना अर्थात् शारीरिक विकास होना बतलाया तथा एक लाभार्थी ने किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होना बतलाया है।

3.7 आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण :

3.7.1 चयनित उत्तरदाताओं में से निम्न किशोरी बालिकाओं को बालिका केन्द्र संचालन वर्ष में आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण किया गया :–

क्र.सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	आई.एफ.ए. प्राप्त करने वाली लाभार्थी	आई. एफ. ए. गोलियों का वितरण							
				वितरण की अवधि				आई.एफ.ए. गोलियों से लाभ			
				3 माह से कम	3 से 4 माह (100 दिन)	4 से 6 माह	6 माह से अधिक	कमजोरी दूर हुई	खून की कमी हुई	मासिक धर्म नियमित	कोई लाभ नहीं
1.	जयपुर	40	35	5	10	20	—	—	33	—	2
2.	उदयपुर	40	40	—	—	21	19	40	—	—	—
3.	भरतपुर	40	40	—	22	18	—	—	40	31	—
4.	भीलवाड़ा	20	20	—	—	20	—	—	20	—	—
5.	नागौर	40	38	11	—	—	27	18	16	—	4
6.	बाड़मेर	40	40	—	—	—	40	38	2	—	—
	योग	**220**	**213**	**16**	**32**	**79**	**86**	**96**	**111**	**31**	**6**
	प्रतिशत		**96.8**	**7.5**	**15.0**	**37.1**	**40.4**	**45.1**	**52.1**	**14.6**	**2.8**

3.7.2 चयनित उत्तरदाताओं में से 213(96.8 प्रतिशत) किशोरी बालिकाओं को आई.एफ. ए. गोलियों का वितरण किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं में से जयपुर में 5 व नागौर में 2 के अलावा सभी किशोरी बालिकाओं को आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण किया गया है, जो कार्यक्रम की अच्छी उपलब्धि को दर्शाता है।

3.7.3 सामान्यतः आई.एफ.ए. गोलियों का वितरण 3–4 माह(100 दिन) तक 1 गोली प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है। चयनित उत्तरदाताओं में से जिन 213 लाभार्थियों को आई.एफ.ए. का वितरण किया गया, उनमें से 16(7.5 प्रतिशत) को 3 माह से कम, 32(15 प्रतिशत) को 3–4 माह (लगभग 100 दिन), 79(37.1 प्रतिशत) को 4 से 6 माह तथा 86(40.4 प्रतिशत) को 6 माह से अधिक अवधि तक गोलियों का वितरण किया गया है।

3.7.4 आई.एफ.ए. गोलियों से क्या लाभ हुआ, के प्रत्युत्तर में 213 वास्तविक लाभार्थियों में से 96 ने कमजोरी दूर होना, 111 ने खून की कमी दूर होना तथा 6 ने किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होना बतलाया है। 31 बालिकाओं ने मासिक धर्म नियमित व समय पर होने का दोहरा लाभ बतलाया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजनान्तर्गत कार्यक्रम से अधिकांश लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है।

3.8 पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा :

3.8.1 "पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा" के लाभ की अवधि एवं किशोरियों को दी गई शिक्षा का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	लाभ लेने वाली लाभार्थी	पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा										
				लाभ की अवधि				"पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा" में दी गई शिक्षा (संकेत)						
				1 माह से कम	1 से 3 माह	3 से 6 माह	6 माह से अधिक	1	2	3	4	5	6	N.R.
1.	जयपुर	40	40	—	1	39	—	32	32	37	2	—	2	2
2.	उदयपुर	40	40	—	—	40	—	8	40	39	5	—	—	—
3.	भरतपुर	40	40	—	27	13	—	40	40	40	—	—	1	—
4.	भीलवाड़ा	20	20	—	—	20	—	10	17	20	—	10	11	—
5.	नागौर	40	39	30	4	—	5	25	35	28	—	10	—	—
6.	बाड़मेर	40	40	—	—	5	35	15	5	40	25	34	—	—
	योग	220	219	30	32	117	40	130	169	204	32	54	14	2
	प्रतिशत		99.5	**13.7**	**14.6**	**53.4**	**18.3**	**59.4**	**77.2**	**93.2**	**14.6**	**24.7**	**6.4**	**0.9**

संकेत—1 गृह प्रबन्धन—घर की साफ सफाई, सद्भाव व पडौसियों से अच्छे सम्बन्ध रखना।
2. पौष्टिक व संतुलित भोजन व स्वास्थ्य के बारे में।
3. शारीरिक बदलाव, माहवारी व शरीर की सफाई के बारे में।
4. कुपोषण, खून की कमी से बचाव व आयरन की गोलियां लेना तथा स्वास्थ्य जांच करवाना आदि।
5. मातृत्व शिक्षा, परिवार नियोजन, टीकाकरण व मौसमी बिमारियों के बारे में।
6. सामाजिक कुरीतियां, अन्धविश्वास व उन्हें दूर करना।

3.8.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 220 उत्तरदाताओं में से 219 (99.5 प्रतिशत) किशोरियों को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ दिया गया, नागौर जिले की सिर्फ 1 उत्तरदाता ने लाभ नहीं लिया, जो स्वयं केन्द्र पर नहीं आती थी। जिन किशोरियों ने लाभ लिया उनमें से 30 ने 1 माह से कम अवधि का, 32 ने 1 से 3 माह तक, 117 ने 3 से 6 माह तक तथा 40 बालिकाओं ने 6 माह से अधिक अवधि तक बालिका केन्द्र से स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ मिलना बतलाया है। उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि किशोरी बालिकाओं ने लाभ की अवधि ज्यादा बतलाई है, क्योंकि "पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा" का लाभ साधारणतः 12 सप्ताह (3 माह) तक दिया जाता है।

3.8.3 "पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा" में क्या सिखलाया, के प्रत्युत्तर में 219 वास्तविक लाभार्थियों में से 2 बालिकाओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। 217 को क्या—क्या सिखलाया गया, का विवरण तालिका में 6 श्रेणियों में बांटकर दिखलाया जा रहा है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि शारीरिक बदलाव व शरीर की सफाई की शिक्षा सबसे ज्यादा 204 (93.2 प्रतिशत) बालिकाओं को, संतुलित भोजन व स्वास्थ्य के बारे में 169 (77.2 प्रतिशत) बालिकाओं को तथा गृह प्रबन्धन के बारे में 130 (59.4 प्रतिशत)

बालिकाओं को ज्ञान दिया गया है। सामाजिक कुरूतियां व अन्धविश्वास के बारे में सबसे कम 14 (6.4 प्रतिशत) बालिकाओं को बतलाया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि लाभ की अवधि तो तय सीमा से अधिक बतलाई जा रही है तथा विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा का ज्ञान कम बालिकाओं को दिया गया है।

3.9 स्वास्थ्य जांच :

3.9.1 चयनित उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य जांच तथा लाभान्वित वर्ष में उसकी बारम्बारता का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	जांच का लाभ लेने वाली लाभार्थी	स्वास्थ्य जांच						
				लाभान्वित वर्ष में जांच (संख्या)						
				1	2	3	4	5	6	6 से अधिक बार
1.	जयपुर	40	33	13	–	1	14	–	5	–
2.	उदयपुर	40	40	–	–	–	–	–	40	–
3.	भरतपुर	40	40	–	–	5	1	–	34	–
4.	भीलवाड़ा	20	20	–	–	–	–	–	20	–
5.	नागौर	40	32	10	10	8	2	1	–	1
6.	बाड़मेर	40	5	–	–	–	–	–	5	–
	योग	**220**	**170**	**23**	**10**	**14**	**17**	**1**	**104**	**1**
	प्रतिशत		**77.3**	**13.5**	**5.9**	**8.2**	**10.0**	**0.6**	**61.2**	**0.6**

3.9.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 220 उत्तरदाताओं में से 170 (77.3 प्रतिशत) बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। चयनित जिलों में से उदयपुर, भीलवाड़ा व भरतपुर जिलों में शत–प्रतिशत उत्तरदाताओं की स्वास्थ्य जांच की गई तथा बाड़मेर में सबसे कम 5 (12.5 प्रतिशत) बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। इससे प्रतीत होता है कि बाड़मेर जिले के गांवों में या तो डॉक्टर व ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं या वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं।

3.9.3 लाभान्वित वर्ष के दौरान स्वास्थ्य जांच का लाभ प्राप्त करने वाली 170 लाभार्थियों में से 23 की एक बार, 10 की दो बार, 14 की तीन बार, 17 की चार बार, एक की 5 बार तथा 104(61.2 प्रतिशत) की 6 बार स्वास्थ्य जांच की गई। इससे प्रतीत होता है कि अधिकांश की स्वास्थ्य जांच नार्मस के अनुरूप 6 बार की गई है। सिर्फ एक लाभार्थी की जांच 6 बार से अधिक तथा 65(38.2 प्रतिशत) लाभार्थियों की स्वास्थ्य जांच नार्मस से कम बार की गई है।

3.10 व्यावसायिक प्रशिक्षण :

3.10.1 किशोरी शक्ति योजना का मुख्य घटक व्यावसायिक प्रशिक्षण ही है जिससे किशोरी बालिकाओं का मनोबल बढ़ता है तथा आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा मिलती है। चयनित उत्तरदाताओं में से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं का विवरण, प्रशिक्षण स्थल एवं अवधि की प्राप्त सूचना निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	प्रशिक्षण लेने वाली लाभार्थी	व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम			
				प्रशिक्षण का स्थान		प्रशिक्षण अवधि(दिवसों में)	
				परियोजना स्तर पर	आंगनबाड़ी स्तर पर	5 दिवस	10 दिवस
1.	जयपुर	40	–	–	–	–	–
2.	उदयपुर	40	9	4	5	9	–
3.	भरतपुर	40	20	20	–	20	–
4.	भीलवाड़ा	20	–	–	–	–	–
5.	नागौर	40	40	9	31	35	5
6.	बाड़मेर	40	–	–	–	–	–
	योग	**220**	**69**	**33**	**36**	**64**	**5**
	प्रतिशत		31.4	47.8	52.2	92.8	7.2

3.10.2 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से मात्र 69 (31.4 प्रतिशत) बालिकाओं को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण का लाभ दिया गया है तथा शेष 151 (68.6 प्रतिशत) बालिकाओं को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जो योजना की असफलता को दर्शाता है। एक मात्र नागौर जिले में सभी उत्तरदाताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है जिससे प्रतीत होता है कि नागौर जिले की डीडवाना व जायल परियोजना में कार्यक्रम का क्रियान्वयन ठीक हो रहा है। जयपुर, भीलवाड़ा व बाड़मेर जिले में किसी भी चयनित उत्तरदाता को प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि राज्य की राजधानी वाले जिले में व दूरस्थ जिले में कार्यक्रम का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। जयपुर जिले में बस्सी परियोजना की चयनित 4 बालिका केन्द्रों की 2 x 4 = 8 किशोरी बालिकाओं को परियोजना स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण देना बतलाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि बस्सी परियोजना में बालिका केन्द्र स्तर पर किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया तथा न ही बालिका केन्द्र स्तर का पर्यवेक्षण/निरीक्षण किया गया है। आमेर परियोजना में किसी भी स्तर पर प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

3.10.3 चयनित उत्तरदाताओं में से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त 69 बालिकाओं में से 33 को परियोजना स्तर तथा 36 को आंगनबाड़ी/बालिका केन्द्र स्तर पर लाभ दिया गया है। भरतपुर शहर परियोजना की चयनित सभी 20 उत्तरदाताओं को प्रशिक्षण परियोजना स्तर पर दिया गया है।

3.10.4 लाभार्थी 69 बालिकाओं में से 64 को 5 दिवसीय तथा 5 बालिकाओं को 10 दिवस का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है।

3.10.5 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि चयनित जिलों में कुल 220 चयनित लाभार्थियों में से केवल 69 (31.4 प्रतिशत) लाभार्थियों को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण से लाभान्वित किया गया है जिससे योजना का मूल उद्देश्य परिलक्षित नहीं होता है, जो योजना की मूल भावना एवं कार्यक्रम की निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है।

3.10.6 व्यावसायिक प्रशिक्षण अन्तर्गत क्या–क्या सिखलाया गया, इसका विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है :–

क्र.सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	प्रशिक्षण लेने वाली लाभार्थी	प्रशिक्षण में सिखलाये गये कार्य							
				सिलाई	बुनाई	कशीदाकारी (कढ़ाई)	आरी – तारी	बंधेज का कार्य	खिलौने व सजावटी सामान	मेंहन्दी लगाना	अन्य कार्य
1.	जयपुर	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	उदयपुर	40	9	9	–	4	–	2	–	4	–
3.	भरतपुर	40	20	20	2	20	2	–	20	–	5
4.	भीलवाड़ा	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	नागौर	40	40	31	39	37	7	1	5	–	–
6.	बाड़मेर	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	**220**	**69**	**60**	**41**	**61**	**9**	**3**	**25**	**4**	**5**
	प्रतिशत		**31.4**	**87.0**	**59.4**	**88.4**	**13.0**	**4.3**	**36.2**	**5.8**	**7.2**

3.10.7 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वास्तविक लाभार्थी 69 बालिकाओं में से सबसे अधिक 61 को कशीदाकारी, 60 को सिलाई, 41 को बुनाई तथा 25 को खिलौना व सजावटी सामाना बनाना सिखलाया गया। सबसे कम 3 को बन्धेज का कार्य करना, 4 बालिकाओं को मेंहन्दी लगाने का कार्य तथा 5 बालिकाओं को अन्य कार्य – मोमबत्ती बनाना, आचार, चटनी मुरब्बा, पापड़ बनाना व चित्रकारी करना सिखलाया गया है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान पाया गया कि सिलाई मशीन के अभाव में अधिकांश केन्द्रों पर सिलाई का कार्य हाथ की सुई से करना ही सिखलाया गया है।

3.10.8 व्यावसायिक प्रशिक्षण से लाभ जिलेवार निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	प्रशिक्षण लेने वाली लाभार्थी	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लाभ			
				स्वयं के छोटे मोटे घरेलू कार्य कर लेते हैं	व्यावसायिक कार्यों के प्रति रूचि बढ़ी है	स्वयं का रोजगार करने हेतु उत्पाद तैयार करने लगी	स्वयं सहायता समूह के साथ रोजगार करने लगी
1.	जयपुर	40	–	–	–	–	–
2.	उदयपुर	40	9	9	–	–	–
3.	भरतपुर	40	20	6	–	7	7
4.	भीलवाड़ा	20	–	–	–	–	–
5.	नागौर	40	40	19	20	1	–
6.	बाड़मेर	40	–	–	–	–	–
	योग	**220**	**69**	**34**	**20**	**8**	**7**
	प्रतिशत		**47.8**	**49.3**	**29.0**	**11.6**	**10.1**

3.10.9 चयनित उत्तरदाताओं में से वास्तव में प्रशिक्षण प्राप्त 69 किशोरियों से प्रशिक्षण के लाभ मालूम किये गये। 34(49.3 प्रतिशत) बालिकाओं ने छोटे–मोटे घरेलू कार्य कर लेना बतलाया, 20 (29.0 प्रतिशत) बालिकाओं ने व्यावसायिक कार्यों के प्रति रूचि बढ़ना बतलाया, 8 (11.6 प्रतिशत) बालिकाओं ने स्वयं का व्यक्तिगत रोजगार करने हेतु

उत्पाद तैयार करना बतलाया तथा भरतपुर शहर परियोजना की 7 बालिकाओं ने स्वयं सहायता समूह के साथ रोजगार करना बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं में से 15(21.7 प्रतिशत) बालिकाऐं स्वयं का रोजगार करने लगी है।

3.10.10 प्रशिक्षण प्राप्त 69 बालिकाओं में से भरतपुर व नागौर की सभी 60 बालिकाओं को किशोरी बालिका किट/कच्चा माल उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन उदयपुर जिले की 9 लाभार्थियों में से किसी भी बालिका को बालिका किट/सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है जबकि 9 में से 4 बालिकाओं को तो परियोजना स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र की सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त बालिकाओं को दिये गये किशोरी बालिका किट/सामग्री की जांच करवायी जानी चाहिए।

3.11 शैक्षणिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) :

3.11.1 चयनित उत्तरदाताओं को करवाये गये शैक्षणिक भ्रमण स्थान व उससे प्राप्त ज्ञान/लाभ का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	लाभ लेने वाली लाभार्थी	शैक्षणिक भ्रमण का लाभ					
				भ्रमण का स्थान		भ्रमण से सीखने को मिला			
				जिला स्तर पर	परियोजना स्तर पर	सरकारी कार्यालयों के कार्य	ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल	शहर, बाजार व मंदिर	अभयारण्य व पशु पक्षी
1.	जयपुर	40	38	5	33	33	5	–	–
2.	उदयपुर	40	39	20	19	20	–	19	–
3.	भरतपुर	40	23	20	3	–	5	10	8
4.	भीलवाड़ा	20	–	–	–	–	–	–	–
5.	नागौर	40	29	–	29	13	2	14	–
6.	बाड़मेर	40	–	–	–	–	–	–	–
	योग	**220**	**129**	**45**	**84**	**66**	**12**	**43**	**8**
	प्रतिशत		**58.6**	**34.9**	**65.1**	**51.2**	**9.3**	**33.3**	**6.2**

3.11.2 चयनित 220 उत्तरदाताओं में से शैक्षणिक भ्रमण का लाभ 129 (58.6 प्रतिशत) बालिकाओं को दिया गया है। भीलवाड़ा व बाड़मेर की चयनित किसी भी बालिका को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया, जबकि जयपुर व उदयपुर की अधिकांश बालिकाओं को लाभ दिया गया है। 129 लाभान्वित बालिकाओं में से 45(34.9 प्रतिशत) को जिला स्तर पर तथा 84 (65.1 प्रतिशत) को परियोजना स्तर पर भ्रमण करवाया गया है।

3.11.3 भ्रमण के दौरान क्या सीखने को मिला, के प्रत्युत्तर में 66 बालिकाओं ने सरकारी कार्यालयों को देखने व उनके कार्यकलापों की जानकारी होना बतलाया गया, 12 बालिकाओं ने ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थलों को देखकर इतिहास की जानकारी

लेना बतलाया, 43 बालिकाओं ने नये–नये स्थान, मंदिर, बाजार व सरकारी कार्यालयों को देखना तथा 8 बालिकाओं ने अभ्यारण्य, जंगल व पशु पक्षी देखना बतलाया है।

3.12 अनौपचारिक शिक्षा :–

3.12.1 चयनित उत्तरदाताओं में से अनौपचारिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करने वाली बालिकाओं, शिक्षा की अवधि एवं निरक्षर पाई गई बालिकाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित किशोरी बालिका केन्द्र संख्या	चयनित उत्तर दाता संख्या	अनौपचारिक शिक्षा का लाभ					सर्वे दिनांक को निरक्षर पाई गई उत्तरदाता	
				लाभ देने वाले केन्द्रों की संख्या	लाभ लेने वाली उत्तर दाता संख्या	शिक्षा की अवधि			केन्द्र पर लाभ दिया गया था	केन्द्र पर लाभ नहीं दिया गया था
						1 से 3 माह	3 से 6 माह	6 माह से अधिक		
1.	जयपुर	8	40	6	13	1	12	–	1	–
2.	उदयपुर	8	40	1	5	–	5	–	–	4
3.	भरतपुर	8	40	5	8	2	6	–	2	–
4.	भीलवाड़ा	4	20	4	7	7	–	–	–	–
5.	नागौर	8	40	1	4	–	–	4	–	3
6.	बाड़मेर	8	40	7	23	–	1	22	–	–
	योग	**44**	**220**	**24**	**60**	**10**	**24**	**26**	**3**	**7**
	प्रतिशत			**54.5**	**27.3**	**16.7**	**40.0**	**43.3**	**–**	**–**

3.12.2 उपरोक्त विवरण के अनुसार चयनित 44 किशोरी बालिका केन्द्रों में से 24 (54.5 प्रतिशत) बालिका केन्द्रों पर 60 (27.3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं को अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ा गया। अनौपचारिक शिक्षा से जुड़ने वाली सभी किशोरी बालिकाऐं निरक्षर थी। 10 किशोरियों को 1 से 3 माह, 24 किशोरियों को 3 से 6 माह तथा 26 किशोरियों को 6 माह से अधिक अवधि तक अनौपचारिक शिक्षा का लाभ दिया गया, जिसमें से 57 (95 प्रतिशत) किशोरियां साक्षर हुई तथा 3 (5 प्रतिशत) किशोरी साक्षर नहीं हुई।

3.12.3 सर्वे दिनांक को साक्षात्कार की जाने वाली 220 उत्तरदाताओं में से 10 (4.5 प्रतिशत) बालिकाऐं निरक्षर थी, जिनमें से 7 किशोरियों ने योजना का लाभ नहीं लिया, लेकिन 3 किशोरी ऐसी थी, जिन्हें अनौपचारिक शिक्षा का लाभ दिया गया, लेकिन साक्षर नहीं हुई।

3.13 कार्यक्रम की अन्य बालिकाओं को जानकारी :

3.13.1 चयनित उत्तरदाताओं में से अन्य किशोरी बालिकाओं को लाभों की जानकारी देने वाली बालिकाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	कार्यक्रम से प्राप्त लाभों की जानकारी अन्य किशोरी बालिकाओं को देना					
			अन्य को जानकारी देने वाली उत्तरदाता	कितनी किशोरी बालिकाओं को लाभ की जानकारी दी गई				
				1	2	3	4	5
1.	जयपुर	40	13	5	4	2	–	2
2.	उदयपुर	40	5	–	5	–	–	–
3.	भरतपुर	40	13	–	4	6	–	3
4.	भीलवाड़ा	20	7	–	3	2	–	2
5.	नागौर	40	3	–	–	–	–	3
6.	बाड़मेर	40	16	–	4	1	3	8
	योग	**220**	**57**	**5**	**20**	**11**	**3**	**18**
	प्रतिशत		**25.9**	**8.8**	**35.1**	**19.3**	**5.2**	**31.6**

3.13.2 चयनित उत्तरदाताओं में से 57 (25.9 प्रतिशत) बालिकाऐं ऐसी थी जिन्होंने प्राप्त लाभों की जानकारी अन्य किशोरियों को भी दी है। इन 57 किशोरियों में से 5 ने एक–एक को, 20 ने दो–दो को, 11 ने तीन–तीन को, 3 ने चार–चार को तथा 18 बालिकाओं ने पांच–पांच बालिकाओं को जानकारी दी है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि किशोरियों की कार्यक्रम के प्रति रूचि है।

3.14 कार्यक्रम का प्रभाव :

3.14.1 चयनित 220 उत्तरदाताओं से कार्यक्रम का उनके मनोबल, मानसिक विकास व सामाजिक स्थिति पर प्रभाव के बारे में पूछने पर निम्न प्रत्युत्तर दिये :–

क्र.सं.	चयनित जिले का नाम	चयनित उत्तर दाता संख्या	कार्यक्रम का किशोरी के मनोबल, मानसिक विकास व सामाजिक स्थिति पर प्रभाव							
			प्रभाव पड़ा		यदि हाँ तो क्या प्रभाव पड़ा (संकेत)					
			हाँ	नहीं	1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर	40	39	1	30	28	–	8	2	–
2.	उदयपुर	40	39	1	39	11	1	2	16	–
3.	भरतपुर	40	35	5	21	20	3	–	3	15
4.	भीलवाड़ा	20	19	1	19	13	1	–	5	17
5.	नागौर	40	30	10	14	24	3	7	–	–
6.	बाड़मेर	40	40	–	–	39	36	36	8	–
	योग	**220**	**202**	**18**	**123**	**135**	**44**	**53**	**34**	**32**
	प्रतिशत		**91.8**	**8.2**	**60..9**	**66.8**	**21.8**	**26.2**	**16.8**	**15.8**

3.14.2 उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 220 उत्तरदाताओं में से 202 (91.8 प्रतिशत) ने कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव बताया है तथा 18 (8.2 प्रतिशत) बालिकाओं ने बताया कि कार्यक्रम का मानसिक विकास व सामाजिक स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ा है। जिन बालिकाओं ने सकारात्मक उत्तर दिया उनमें से अधिकांश

ने एक से अधिक प्रभाव बताये हैं जो निम्न प्रकार से है – (1.) 202 उत्तरदाताओं में से 123 बालिकाओं ने ज्ञान वृद्धि से मानसिक विकास होना माना है, (2.) 135 बालिकाओं ने मनोबल, आत्मबल बढ़ना बतलाया है, (3.) 44 बालिकाओं के अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति जागृति आई है, (4.) 53 बालिकाओं के अनुसार सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है (5.)34 बालिकाओं के अनुसार दैनिक कार्यविधियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तथा (6.)32 बालिकाओं के अनुसार अन्धविश्वास व सामाजिक कुप्रथा की जानकारी होने के कारण परिवार सुधार का लाभ मिला है।

3.15 कठिनाईयाँ :

3.15.1 कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों के बारे में मालूम करने पर चयनित 220 में से 121 (55 प्रतिशत) बालिकाओं ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निम्न कठिनाइयाँ बतलाई है :–

1. किशोरी बालिका किट में सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं होती अर्थात् जिस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है उसकी पूर्ण सामग्री नहीं दी जाती।
2. प्रशिक्षण अवधि (5 दिवस) कम होने के कारण प्रशिक्षण से पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं होती।
3. प्रशिक्षक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित/दक्ष नहीं होते।
4. किशोरी बालिका किट/सामग्री नहीं दी जाती।
5. व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।
6. जरूरतमंद/गरीब किशोरी बालिकाओं को पोषाहार से नहीं जोड़ा जाता।
7. स्वास्थ्य जाँच अपर्याप्त व अधूरी है, माह में 1 बार ए.एन.एम. द्वारा जाँच की जाती है, जो अपर्याप्त बतायी गयी।
8. शैक्षणिक भ्रमण के दौरान सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी बालिकाओं को विभाग की कार्य प्रणाली की जानकारी देने में सहयोग नहीं करते।
9. नियमित स्वास्थ्य जाँच ही नहीं की जाती है।

3.15.2 चयनित 6 जिलों में से 5 जिलों की उत्तरदाताओं ने कार्यक्रम की कठिनाईयाँ/कमियाँ बतलाई है, लेकिन बाड़मेर जिले की किसी भी उत्तरदाता ने कार्यक्रम में कमियाँ नहीं बतलाई है, जबकि बाड़मेर जिले की चयनित बालिका केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र की बालिकाओं को न तो व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है तथा न ही शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया है। स्पष्ट है कि बाड़मेर की चयनित किशोरी बालिकाओं को सभी प्रकार के लाभों के बारे में प्रेरकों द्वारा नहीं बतलाया गया है, अतः बाड़मेर जिले में कार्यक्रम का क्रियान्वयन में बहुत ही सुधार करने की आवश्यकता है।

3.16 **सुझाव :**

3.16.1 चयनित उत्तरदाताओं में से जिन 121 बालिकाओं ने कार्यक्रम में कमियाँ बतलाई हैं उन्होंने कमियों को दूर करने हेतु एक से अधिक सुझाव भी दिये हैं। सुझावों का विवरण बिन्दुवार निम्न प्रकार से है :–

1. किशोरी बालिका किट में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री दी जावें।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जावें जिससे पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करके दक्षता प्राप्त की जा सके।
3. प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण प्रशिक्षित व्यक्ति/प्रेरक द्वारा ही दिया जावें।
4. शैक्षणिक भ्रमण के दौरान सम्बन्धित विभागों का उचित मार्गदर्शन व सहयोग दिलवाया जावें।
5. पंजीकृत सभी किशोरी बालिकाओं को रोजगार परख व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जावें।
6. किशोरी शक्ति योजना लाभ वर्ष में जरूरतमंद व गरीब सभी बालिकाओं को पोषाहार से जोड़ा जावें।
7. प्रशिक्षण लेने वाली सभी किशोरी बालिकाओं को किशोरी बालिका किट दिया जावे।
8. पंजीकृत सभी बालिकाओं की स्वास्थ्य जाँच प्रतिमाह डाक्टर द्वारा की जावें।

अध्याय–चतुर्थ

कमियाँ एवं सुझाव

कार्यक्रम की कमियाँ एवं सुझाव :

किशोरी शक्ति/किशोरी बालिका योजना के संचालन में कई प्रकार की कमियाँ पाई गई है। वर्ष 2005–06 से सभी महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं में सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत संचालित किशोरी शक्ति योजना ही संचालित की जा रही है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, जन–प्रतिनिधियों एवं किशोरी बालिकाओं द्वारा बतलाई गई तथा मूल्यांकन विभाग के अधिकारियों/अन्वेषकों द्वारा अनुभूत की गई कमियाँ तथा योजना के सफल संचालन हेतु दिये गये सुझावों को क्रमवार निम्न प्रकार से दर्शाया जा रहा है।

4.1 **बजट अपर्याप्ता व आवंटन में देरी :**

चूंकि यह योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं पारितोषित योजना है तथा गत वर्षो में भारत सरकार से बजट राशि विलम्ब से प्राप्त हुई है, तत्पश्चात् विभाग द्वारा राशि को उचित प्रक्रिया के तहत परियोजनाओं को भिजवाया गया है। परियोजनाओं तक राशि 2 से 4 माह देरी से पहुंचने के कारण कार्यक्रम क्रियान्वयन में देरी होने के कारण कई तरह के कार्यक्रम यथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण अादि कार्य नहीं करवाये जा सके है। अतः सुझाव दिया जाता है कि विभाग अपने स्तर पर प्रयास करके भारत सरकार से समय पर बजट प्राप्त करे तथा साथ ही वर्ष 2005–06 के बजट की द्वितीय किश्त के भारत सरकार के पत्र के गुम होने (प्राप्त नहीं होने) जैसी गलतियाँ न हों।

4.1.2 भारत सरकार ने वर्ष 2005–06 से बजट आवंटन 2 किश्तों में कर दिया है। दूसरी किश्त वर्ष के अन्त तक जनवरी, फरवरी में भेजी जाती है, जिसका उपयोग करना सम्भव नहीं है, अतः सुझाव दिया जाता है कि विभाग द्वारा अपने स्तर से प्रथम किश्त मई तथा द्वितीय किश्त अक्टूबर तक प्राप्त कर ली जावे।

4.1.3 वर्ष 2003–04 व 2004–05 में भारत सरकार से प्राप्त बजट में से विभाग ने 0.80 लाख रूपये प्रति परियोजना आवंटित किये थे तथा 0.25 लाख रूपये किशोरी बालिका किट/प्रशिक्षण सामग्री वितरण हेतु निदेशालय ने रखे थे, लेकिन विभाग ने निदेशालय स्तर से 2003–04 में किट/सामग्री का वितरण नहीं किया तथा 2004–05 में कुछ परियोजनाओं को शेष बजट 25000 रूपये का आवंटन देरी से किया है। अतः सुझाव है कि विभाग अपनी नीति निर्धारण निश्चित करे कि बालिका किट/प्रशिक्षण

सामग्री किस स्तर पर खरीद करके वितरित करनी है। इस संबंध में कार्यकारी विभाग ने बताया कि वर्ष में 1.05 लाख रूपये परियोजना अधिकारी को स्थानान्तरित किया है,

इसमें किशोरी बालिका किट वगैरह खरीदने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकारी विभाग की टिप्पणी से मूल्यांकन विभाग सहमत नहीं है। कार्यकारी विभाग ने वर्ष 2003–04 में प्रतिपरियोजना 0.80 लाख रूपये का तथा वर्ष 2004–05 में भी अधिकांश परियोजनाओं में 0.80 लाख रूपये का ही बजट आवंटन किया है, जिसके कारण परियोजना स्तर पर प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध करवाने वाली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अतः इस बिन्दु पर उचित कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

4.1.4 भारत सरकार से प्रति परियोजना (ब्लाक) 1.10 लाख रूपये की राशि प्राप्त होती है, जिसमें से निदेशालय द्वारा 1.05 लाख रूपये प्रति परियोजना वितरित किये जाते हैं। उक्त राशि किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, किट/कच्चामाल उपलब्ध करवाने, शैक्षणिक भ्रमण करवाने, पोस्टर– कलैण्डर व शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने तथा प्रेरकों को उचित मानदेय देने हेतु अपर्याप्त है, अतः सुझाव है कि कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुए वित्तीय प्रावधानों में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार को पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव भिजवाया जावे।

4.2 प्रबोधन व रिकार्ड संधारण में कमियाँ :

4.2.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान निदेशालय स्तर से प्राप्त सूचना व जिला स्तर से प्राप्त सूचना में कई प्रकार की विसंगतियाँ पाई गई हैं, इसी प्रकार से चयनित जिले में जिला स्तर व परियोजना स्तर की सूचनाओं में भी एकरूपता नहीं पाई गई है। विश्व बैंक आई.सी.डी.एस. तृतीय व आई.पी.डी. की जिलेवार सूचना तो विभाग के पास उपलब्ध ही नहीं है अतः विभाग को चाहिये कि वह योजना की वित्तीय व भौतिक सूचना का रिकार्ड दुरस्त करें तथा समय–समय पर बजट आवंटन, व्यय व उपलब्धियों की मॉनिटरिंग करें।

4.3 योजना का पर्यवेक्षण व फील्ड स्टाफ के संबंध में :

4.3.1 परियोजना स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी है तथा उन्हें कई प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना होता है, जिसके कारण अधिकारी व कर्मचारी "किशोरी शक्ति योजना" जैसे छोटे से कार्यक्रम पर ध्यान नहीं देते हैं तथा पूरा कार्य प्रेरक के जिम्मे छोड़ देते हैं, अतः सुझाव दिया जाता है कि फील्ड स्टाफ बढ़ाया जावे, जहाँ तक हो सके प्रति परियोजना प्रति वर्ष चयनित 20 आंगनबाड़ियों की किशोरी शक्ति योजना को लागू करने हेतु एक अलग से महिला पर्यवेक्षक/प्रचेता को लगाया जावे, ताकि व्यावसायिक प्रशिक्षण व शैक्षणिक भ्रमण जैसे कार्य सम्पन्न हो सकें। इस संबंध में कार्यकारी विभाग द्वारा अतिरिक्त महिला पर्यवेक्षक की नियुक्ति को असंभव बताते हुए, प्रेरक, साथिन/कार्यकर्ता को रखा जाना ही पर्याप्त बतलाया है।

4.3.2 सभी किशोरी बालिका केन्द्रों पर किशोरियों की उपस्थिति तथा प्रतिदिन दिये जाने वाले लाभ का इन्द्राज करने हेतु रजिस्टर खोले जावे, जिसमें दिनांकवार विवरण इन्द्राज किया जावे। महिला पर्यवेक्षक/प्रचेता द्वारा सप्ताह में एकबार तथा परियोजना अधिकारी द्वारा माह में एकबार निरीक्षण किया जावे। निरीक्षण में यह भी देखा जावे कि केन्द्र, आंगनबाड़ी समय के अतिरिक्त समय में खुलता है या नहीं तथा कितने समय के लिए खुलता है।

4.4 दिशा–निर्देशों का अभाव :

4.4.1 कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निदेशालय से सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशों की एक प्रति प्रतिवर्ष भेजी जाती है, जो अपर्याप्त है। परियोजना अधिकारी द्वारा उन निर्देशों को मौखिक रूप से पर्यवेक्षक को बताया जाता है तथा प्रेरक स्तर तक निर्देश मौखिक रूप से ही पहुँचते हैं। इससे प्रेरक को परियोजना स्तर पर लिये गये प्रशिक्षण के अलावा कार्यक्रम का लिखित ज्ञान नहीं रहता है तथा वह कई बातें/कार्यक्रम भूल जाती हैं, अतः सुझाव दिया जाता है कि निदेशालय स्तर से प्रति परियोजना 25–25 प्रतियाँ दिशा निर्देशों की भिजवाई जावें अथवा परियोजना अधिकारी स्वयं फोटो प्रति करवाकर सभी पर्यवेक्षकों व प्रेरकों को उपलब्ध करवाये। इस संबंध में कार्यकारी विभाग ने बताया कि दिशा–निर्देश प्रतिवर्ष जारी किये जाते है। इस संबंध में मूल्यांकन अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि दिशा निर्देशों की प्रति मात्र सी.डी.पी.ओ. कार्यालय तक ही भिजवाई जाती है, न कि किशोरी बालिका केन्द्र पर, जहाँ इसकी आवश्यकता होती है।

4.4.2 योजना को संचालित करने हेतु तिथिवार व माहवार एक कलैण्डर जारी किया जावे, जिसमें सभी कार्यक्रम दिये गये हों। कलैण्डर की प्रतियाँ सभी बालिका केन्द्रों तक प्रेरकों को उपलब्ध करवाई जावे।

4.5 योजना का प्रचार–प्रसार :

4.5.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान पाया गया कि जन–प्रतिनिधि व बालिकाओं के माता–पिता/संरक्षक इस योजना को आंगनबाड़ी कार्यक्रम ही मानते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि किशोरी शक्ति योजना अलग योजना हैं अतः सुझाव है कि पंचायत समिति स्तर पर सरपंचों व पंचायत समिति प्रतिनिधियों की मीटिंग में परियोजना अधिकारी स्वयं जावे तथा जन–प्रतिनिधियों को योजना की जानकारी देकर, सहयोग लेवे।

4.5.2 रूढिवादी माता–पिता बालिकाओं को बालिका केन्द्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण व भ्रमण हेतु नहीं भेजते हैं अतः उन्हें ग्राम सभा के लोगों द्वारा समझाया जावे।

4.5.3 वर्तमान युग में मीडिया सक्रिय है अतः योजना प्रारम्भ होने वाले माह मई–जून में जिला स्तर पर छपने वाले अखबार के अंक में तथा रेड़ियों, टी.वी. द्वारा योजना का प्रचार प्रसार किया जावे ताकि बालिकाओं व उनके माता–पिता में जागृति आ सके।

4.6 प्रेरकों का शैक्षणिक स्तर व मानदेय :

4.6.1 राजस्थान आज भी नारी शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान 44 में से 3 प्रेरक केवल साक्षर थी, ज्यादातर जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ही प्रेरक बनाया जाता है, अतः सुझाव है कि जहाँ आंगनबाडी कार्यकर्ता/अन्य महिलाएं कम पढ़ी लिखी हों वहाँ 18–20 वर्ष की शिक्षित लड़की को ही प्रेरक बना दिया जावे। प्रेरक हेतु मिडिल /सैकण्डरी योग्यता अनिवार्य की जावे।

4.6.2 प्रेरक का मानदेय 100 रूपये प्रतिमाह बहुत कम है, इसे बढ़ाकर 200–300 रूपये प्रतिमाह किया जावे।

4.7 पूरक पोषाहार :

4.7.1 किशोरी बालिका केन्द्र हेतु चयनित 30 बालिकाओं में से 2 कमजोर बालिकाओं को ही आंगनबाड़ी से जोड़कर पोषाहार दिया जाता है, जिसके कारण पूरक पोषाहार से वंचित गरीब बालिकाएं कार्यक्रम में रूचि नहीं लेती हैं, अतः सुझाव दिया जाता है कि पंजीकृत में से जरूरतमंद, गरीब व कुपोषित सभी बालिकाओं को पोषाहार दिया जावे ।

4.8. व्यावसायिक प्रशिक्षण :

4.8.1 बालिका केन्द्र पर पंजीकृत 30 बालिकाओं में से 2–2 बालिकाओं को ही परियोजना स्तर पर 5 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। शेष बालिकाओं को प्रशिक्षित बालिकाओं द्वारा प्रेरक की मदद से प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, इसके सार्थक परिणाम सामने नहीं आये है। जयपुर जिले जैसी जगह पर तो चयनित केन्द्रों की प्रशिक्षित बालिकाओं ने केन्द्र पर एक भी बालिका को प्रशिक्षण नहीं दिया है।

अतः सुझाव है कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण सभी पंजीकृत बालिकाओं को दिया जावे। अगर सम्भव नहीं हो सके तो उक्त 5 दिवसीय प्रशिक्षण बालिका केन्द्र स्तर पर ही दे दिया जावे। तत्पश्चात् बालिकाएं केन्द्र पर पुनरावृति अभ्यास करती रहेगी, जिससे सभी ट्रेण्ड हो सकेगी।

4.8.2 व्यावसायिक प्रशिक्षण विषय विशेष के ट्रेण्ड ट्रेनर से ही दिलवाया जावे। प्रशिक्षण कार्य अगर महिला पर्यवेक्षक/प्रचेता से करवाया जाता है तो पहले उन्हें ट्रेण्ड प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग दिलवाई जावे।

4.9 किशोरी बालिका प्रशिक्षण सामग्री :

4.9.1 क्षेत्रीय कार्य के दौरान पाया गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाली सभी बालिकाओं को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः सुझाव है कि परियोजना स्तर पर व बालिका केन्द्र स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सभी किशोरियों को विषय विशेष के अनुरूप आवश्यक सामग्री/ कच्चा माल उपलब्ध करवाया जावे।

4.9.2 किशोरी बालिका प्रशिक्षण सामग्री को खरीद कर, प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षण स्थल पर उपलबधता सुनिश्चित की जावे । इस हेतु विभाग द्वारा नियुक्त क्रय अधिकारी को पाबन्द किया जावे।

4.9.3 प्रेरक द्वारा बालिकाओं को सिलाई सिखाने व बालिकाओं द्वारा सिलाई का अभ्यास करने हेतु प्रति बालिका केन्द्र एक सिलाई मशीन, कैंची व धागा– कपड़ा अतिरिक्त उपलब्ध करवाया जावे। इस संबंध में कार्यकारी विभाग में असहमति देते हुए बालिकाओं की मांग पर उपलब्ध करवाने की टिप्पणी दी है। कौशल उन्नयन/कार्य दक्षता में सुधार के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु केन्द्र पर न्यूनतम एक सिलाई मशीन की आवश्यकता रहती है, ताकि सभी नामांकित प्रशिक्षणार्थियान पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त कर सके।

4.10 स्वयं सहायता समूह :

4.10.1 क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित व प्रशिक्षित बालिकाओं में से भरतपुर जिले की मात्र 7 किशोरी बालिकाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। अतः सुझाव है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त सभी बालिकाओं का सभी केन्द्रों पर एक–एक स्वयं सहायता समूह बनवाया जावे तथा उससे होने वाले लाभों की जानकारी दी जावे। अगर समूह में बालिकाएं व्यवसाय नहीं करती है तथा शादी होकर ससुराल चली जाती है, तब भी प्रशिक्षण व समूह का ज्ञान काम आयेगा तथा संकट की स्थिति में वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी।

4.11 शैक्षणिक भ्रमण (एक्सपोजर विजिट)

4.11.1 क्षेत्रीय कार्य हेतु चयनित 44 बालिका केन्द्रों में से मात्र 28 केन्द्रों की बालिकाओं को ही भ्रमण पर ले जाया गया। कई प्रेरकों को तो भ्रमण हेतु निर्देश ही नहीं मिले, अतः सुझाव है कि सभी केन्द्रों की बालिकाओं को भ्रमण पर ले जाया जावे तथा इस हेतु प्रस्तावित राशि 750 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये प्रति केन्द्र की जावे।

4.11.2 शैक्षणिक भ्रमण स्थानीय स्तर पर नहीं करवाकर अच्छे ऐतिहासिक/दर्शनीय स्थल का करवाया जावे, जो कम से कम जिला स्तर का हो। भ्रमण हेतु तिथि निश्चित करके, जिला स्तर के उप निदेशक/परियोजना निदेशक द्वारा भ्रमण वाले सम्बन्धित विभागों का सहयोग लिया जावे।

4.12 शिक्षा

4.12.1 निरक्षर किशोरी बालिकाओं को साक्षर करने हेतु सभी किशोर बालिका केन्द्रों को 5–5 सैट स्लेट, किताब, कॉपी,पैन्सिल, पोस्टर व कलैण्डर आदि शिक्षण सामग्री तथा 1–1 ब्लैक बोर्ड उपलब्ध करवाया जावे, ताकि निरक्षर को साक्षर किया जा सके।

4.12.2 पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के मामले में प्रेरक केवल खाना पूर्ति करती है अतः महिला पर्यवेक्षक/प्रचेता को पाबन्द किया जावे कि वे पर्यवेक्षण दिनांक को किशोरी बालिकाओं को संतुलित भोजन, साफ सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, बीमारियों, स्वास्थ्य जांच, आई.एफ.ए. गोलियों का सेवन आदि के बारे में बतायें तथा प्रेरक द्वारा दी गई शिक्षा की जांच करें।

4.13 स्वास्थ्य जांच :

4.13.1 बालिकाओं की सभी केन्द्रों पर स्वास्थ्य जांच नहीं की जाती। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग से निर्देश जारी करवाये जावें कि आंगनबाड़ियों में स्वास्थ्य जांच के समय/दिनांक को ही डॉक्टर/ए.एन.एम./एल.एच.वी. द्वारा बालिकाओं की भी जांच की जावे।

4.14 मेला/प्रतियोगिता :

4.14.1 जिला स्तर पर प्रतिवर्ष फरवरी–मार्च माह में एक किशोरी बालिका मेले का आयोजन किया जावे, जिसमें प्रति परियोजना 10–20 प्रतिभावना बालिकाओं को सम्मिलित किया जावे। मेले में वाद–विवाद प्रतियोगिता तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के हुनर का प्रदर्शन किया जावे, जिससे किशोरी बालिकाओं का मनोबल बढ़ सके।

4.15 विविध सुझाव :

4.15.1 इस योजना का लाभ देने हेतु प्रति परियोजना प्रतिवर्ष 20–20 आंगनबाड़ियों का चयन जिला स्तर कार्यालय द्वारा किया जाता है, चयन में देरी के कारण केन्द्र की गतिविधियाँ व प्रेरक प्रशिक्षण देरी से होता है तथा समय अभाव के कारण सभी गतिविधियाँ पूर्ण नहीं हो पाती है। अतः सुझााव है कि चयन का कार्य वर्ष के प्रारम्भ में अप्रेल –मई में ही करके परियोजना अधिकारी को सूची भेज दी जावे।

4.15.2 कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों के क्षेत्र में स्कूल छोड़ चुकी/निरक्षर, पिछड़ी व गरीब परिवार की बालिकाएं उपलब्ध नहीं होती है। वहाँ पर बालिका केन्द्र पर सैकण्डरी व उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं का भी पंजीयन कर लिया जाता है, जो गलत है। अतः सुझाव है कि उन्हीं आंगनबाड़ियों का चयन किया जावे, जो दूर–दराज व पिछड़े क्षेत्र की हो तथा वहाँ पर निरक्षर, गरीब व पिछड़ी किशोरी बालिकाएं हों।

4.15.3 जहाँ पर आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु सरकारी भवन नहीं हैं, वहाँ पर अधिकतर प्रेरक बालिकाओं को अपने घर पर बुलाकर केन्द्र संचालित करती हैं। ऐसी स्थिति वाले केन्द्रों हेतु भवन किराया व दरी–पट्टी की व्यवस्था की जावे।

4.15.4 प्रेरक को परियोजना कार्यालय पर आयोजित ट्रेनिंग में आने–जाने का किराया व मानदेय ट्रेनिंग स्थल पर ही उपलब्ध करवाया जावे।

4.15.5 किशोरी बालिका केन्द्र के संचालन हेतु प्रेरक को रजिस्टर/स्टेशनरी आदि यथा समय उपलब्ध करवाई जावें।

निष्कर्ष

समेकित बाल विकास सेवाओं के एक घटक में 11 से 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं के संर्वागीण विकास के लिए उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ–साथ उनके लिए सृजनात्मक गतिविधियों के द्वारा, उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में भारत सरकार के शत–प्रतिशत आर्थिक सहयोग से किशोरी शक्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। जहाँ एक ओर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण, साक्षरता, स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ जाँच, स्वास्थ्य शिक्षा/मनोबल ऊँचा रखने आदि गतिविधियों की जानकारी देकर इस योजना का संचालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर एवं स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें आर्थिक रूप से सम्बल बनाने के प्रयास भी किये जा रहे है।

इस योजना को निरन्तरता की आवश्यकता है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि विभाग एवं क्रियान्वित परियोजना एजेन्सी के मध्य समय–समय पर कार्यक्रम की मोनेटरिंग, पर्यवेक्षण, परस्पर समन्वय एवं गतिविधियों को संचालन करने हेतु समय पर पर्याप्त बजट राशि भिजवाना, प्रबोधन एवं अभिलेखों की अद्योतन सूचना एवं रिकार्ड का संधारण, पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता, प्रचार–प्रसार, प्रेरको में रूचि जागृत करना तथा समय पर दिशा– निर्देशों के द्वारा योजना का संचालन करवाने के साथ ही ब्लॉक एवं ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें योजना से जोड़ कर इस योजना को और अधिक गति प्रदान की जा सकती है ताकि योजना का लाभ शत–प्रतिशत रूप से किशोरी बालिकाओं को मिल सके।

परिशिष्ट–I

किशोरी शक्ति योजना की जिलेवार भौतिक प्रगति विवरण
(लक्ष्य एवं उपलब्धियां) (अवरोही क्रम में)

क्र.	जिले का	2003–04		2004–05		2005–06		योग	
सं.	नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.
1.	जयपुर	9000	9000	9000	9000	9000	9000	27000	27000
2.	उदयपुर	6600	6604	6600	6486	7200	6484	20400	19574
3.	भरतपुर	6000	6000	6000	6000	6000	6000	18000	18000
4.	भीलवाड़ा	5400	5400	5400	5500	7200	5400	18000	16300
5.	नागौर	5400	5400	5400	5400	6600	5400	17400	16200
6.	बाड़मेर	4800	4800	4800	4800	4800	4800	14400	14400
7.	बांसवाड़ा	4800	4800	4800	4800	4800	4800	14400	14400
8.	जोधपुर	4200	4200	4200	4200	6000	4200	14400	12600
9.	टौंक	4200	4200	4200	4200	4200	4200	12600	12600
10.	अजमेर	3600	3600	3600	3600	6600	3600	13800	10800
11.	अलवर	3600	3600	3600	3600	9000	3600	16200	10800
12.	चित्तौड़गढ़	3600	3600	3600	3600	9000	3600	16200	10800
13.	सवाईमाधोपुर	3600	3600	3600	3600	3600	3600	10800	10800
14.	पाली	3600	3580	3600	3580	6600	3580	13800	10740
15.	जालौर	4200	2700	4200	4155	4200	3584	12600	10439
16.	बीकानेर	3600	3000	3600	3600	3600	3600	10800	10200
17.	डूंगरपुर	3000	3000	3000	3000	3000	3000	9000	9000
18.	सिरोही	3000	3000	3000	3000	3000	3000	9000	9000
19.	धोलपुर	2400	2400	2400	2400	2400	2400	7200	7200
20.	झालावाड़	2400	2400	2400	2400	3600	2400	8400	7200
21.	कोटा	2400	2400	2400	2400	3600	2400	8400	7200
22.	करौली	2400	–	2400	2400	3000	2400	7800	4800
23.	जैसलमेर	1800	1800	1800	600	1800	600	5400	3000
24.	सीकर	600	600	600	–	5400	600	6600	1200
25.	झुन्झुनू	1200	100	1200	–	4800	80	7200	180
26.	चूरू	3600	600	3600	600	4200	600	11400	1800
27.	बारां	–	–	–	–	4200	600	4200	600
28.	बूंदी	–	–	–	–	2400	–	2400	–
29.	दौसा	–	–	–	–	3000	–	3000	–
30.	श्री गंगानगर	–	–	–	–	4800	–	4800	–
31.	हनुमानगढ़	–	–	–	–	2400	–	2400	–
32.	राजसमंद	–	–	–	–	4200	–	4200	–
	योग	99000	90384	99000	92921	154200	93528	352200	276833

मूल्यांकन कार्य में सहभागी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान
1.	श्रीमती मधु पोखरना	संयुक्त निदेशक	मुख्यालय, जयपुर
2.	श्रीमती साधना भट्ट	सहायक निदेशक	मुख्यालय, जयपुर
3.	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	मूल्यांकन अधिकारी	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर
4.	श्री सूरजमल जाट	अन्वेषक	मुख्यालय, जयपुर
5.	श्री सीता राम यादव	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय, बीकानेर
6.	श्री ओम प्रकाश मेहता	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,उदयपुर
7.	श्रीमती लेखा महला	अन्वेषण सहायक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,जयपुर
8.	श्रीमती बृज कुमारी सक्सैना	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,जयपुर
9.	श्रीमती सविता मौर्य	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,जयपुर
10.	श्री मदन गोपाल गौड	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,अजमेर
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,जयपुर
12.	श्री अनिल मालोदिया	अन्वेषक	संभाग मूल्यांकन कार्यालय,जोधपुर
13.	श्री कैलाश वर्मा	निजी सहायक	मुख्यालय, जयपुर
14.	श्रीमती निशी सौगानी	शीघ्र लिपिक	मुख्यालय, जयपुर